[2022] 8 एस. सी. आर 198

दक्षिणी शक्ति वितरण शक्ति कंपनी

आंध्र प्रदेश सीमा (ए. पी. एस. पी. डी. सी. एल.) और ए. एन. आर.

वी.

मेसर्स हिंदुजा नेशनल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

& एएनआर

(2020 की सिविल अपील संख्या 1844)

फरवरी 02,2022

[एल. नागेश्वर राव और बी. आर. गवई, जे. जे.]

विद्युत अधिनियम, 2003-एस. 61 , 62 , 64 और 86-बिजली खरीद समझौता (पी. पी. ए.)-अपीलकर्ता-वितरण कंपनियां (डिस्कॉम्स)

उत्तरदाता सं. द्वारा उत्पन्न बिजली 100% खरीदना था। 1

एच. एन. पी. सी. एल.-2015 का ओ. पी. No.21 के निर्धारण के लिए एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा दाखिल किया गया

अपीलार्थियों द्वारा दायर 2016 की पूंजी लागत और ओ. पी. No.19-डिस्कॉम्स

पी. पी. ए. की मंजूरी के लिए-हालांकि, 4 जनवरी, 2018 को, अपीलकर्ता डिस्कॉम्स ने राज्य विद्युत नियामक के समक्ष आई. ए. दाखिल किए।

2016 के ओ. पी. No.19 को वापस लेने और निपटान के लिए आयोग 2015 का ओ. पी. No.21-राज्य आयोग ने ओ. पी. वापस लेने की अनुमति दी।

अपीलार्थियों द्वारा दायर 2016 का No.19-डिस्कॉम्स और परिणामस्वरूप

एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा दायर 2015 का ओ. पी. No.21 खारिज-प्रत्यर्थी की अपील

नहीं। 1 - विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (ए. पी. टी. ई. एल.) ने एच. एन. पी. सी. एल. को अनुमति दी

जिसने राज्य विद्युत नियामक आयोग को निपटान करने का निर्देश दिया

योग्यता के आधार पर 2015 के ओ. पी. No.21 और 2016 के ओ. पी. No.19

की शुद्धता-आयोजितः ए. पी. टी. ई. एल. ने सही माना कि, के कारण

आंध्र प्रदेश राज्य/एपीडीआईएससीओएमएस द्वारा दिया गया आश्वासन,

एच. एन. पी. सी. एल. ने अपनी स्थिति बदल दी थी और इसकी अनुमति नहीं थी।

अपीलार्थियों के लिए-2016 का ओ. पी. No.19 वापस लेने के लिए डिस्कॉम्स

अपीलार्थियों का आचरण-डिस्कॉम्स उन्हें वापस लेने के लिए अयोग्य ठहराएगा

आवेदन-तर्क, कि परियोजना की पूंजी लागत में वृद्धि के कारण, अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स को आवश्यक होगा

बहुत अधिक दर पर बिजली की खरीद, पानी भी नहीं रखता है क्योंकि राज्य विद्युत नियामक आयोग केवल मंजूरी देगा

लागत जो उचित लगेगी, जैसा कि यू/के प्रावधानों द्वारा निर्देशित है। 2003 के अधिनियम की धारा 61 और विनियम; और केवल इसलिए कि परियोजना की लागत का अनुमान एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा एक विशेष राशि पर लगाया गया है, राज्य आयोग इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है-इसके अलावा,

एस का अवलोकन। 64 2003 के अधिनियम से पता चलता है कि एक

198 साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर कंपनी लिमिटेड OFA.P। (एपीएसपीडीसीएल) v. एम/एस हिंदुजनल पावर कार्पोरेशन। लिमिटेड।

जनरेटिंग कंपनी के लिए आवेदन करने का अधिकार है

शुल्क का निर्धारण यू / 2003 के अधिनियम की धारा 62-इस प्रकार, राज्य आयोग एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा दायर 2015 के ओ. पी. No.21 को खारिज करने में पूरी तरह से अन्यायपूर्ण था-अज्ञात कारणों से, अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स ने अपने पहले के रुख से पीछे हटने का निर्णय लिया, जिसके कारण, न केवल एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा किया गया भारी निवेश बर्बाद हो जाएगा, बल्कि हजारों एकड़ भूमि सहित जनता के मूल्यवान संसाधन भी बर्बाद हो जाएंगे-डिस्कॉम्स, जो हैं -

राज्य के साधनों को अपनी सनक और इच्छाओं पर अपने निर्णय को बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी और विशेष रूप से, जब यह था जनहित और सार्वजनिक भलाई के लिए प्रतिकूल-रिकॉर्ड

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि निर्णय में परिवर्तन मनमाना, तर्कहीन और अनुचित था-अपीलकर्ताओं द्वारा दायर किए गए आई. ए.-डिस्कॉम, ऐसे कार्य थे, जो जनहित और सार्वजनिक भलाई को प्रभावित करते थे, अपीलकर्ताओं के समान आचरण के लिए कोई तर्कसंगत या उचित आधार नहीं था-किसी भी स्थिति में, ए. पी. टी. ई. एल. के विवादित निर्णय को किसी भी पक्ष के हितों के लिए प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता है।

विद्युत नियामक आयोग गुण-दोष के आधार पर उक्त दो ओ. पी. का निपटारा करेगा-लागत के साथ खारिज की गई अपील, जिसकी मात्रा रु. 5,00,000/राज्य विद्युत नियामक आयोग उक्त दो पर निर्णय लेगा।

-

ओ. पी., तेजी से, छह महीने के भीतर।

भारत का संविधान-कला। 12 और 14-सार्वजनिक प्राधिकरण

-

राज्य-राज्य के उपकरण-आयोजितः किसी भी राज्य के प्रत्येक कार्य को गैर-मनमानेपन, तर्कसंगतता और तर्कसंगतता के स्पर्श-पत्थर द्वारा निर्देशित किया जाना आवश्यक है-किसी भी राज्य के प्रत्येक कार्य को समान रूप से सार्वजनिक हित द्वारा निर्देशित किया जाना आवश्यक है।

पद एक न्यासी है, जिसका सर्वोच्च कर्तव्य देश के लोगों के प्रति है इसलिए सार्वजनिक प्राधिकरण को केवल सार्वजनिक भलाई के लिए शक्तियों का प्रयोग करने की आवश्यकता है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (ए. पी. टी. ई. एल.) ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया कि आंध्र प्रदेश राज्य/ए. पी. डी. आई. एस. सी. ओ. एम. एस. द्वारा दिए गए आश्वासन के कारण, एच. एन. पी. सी. एल. ने अपनी स्थिति बदल दी थी और इस प्रकार, अपीलकर्ताओं-डी. आई. एस. सी. ओ. एम. एस. के लिए 2016 का ओ. पी. No.19 वापस लेने की अनुमति नहीं थी। 2016 के ओ. पी.

No.19 में 2018 के आई. ए. संख्या 1 और 2015 के ओ. पी. No.21 में 2018 के आई. ए. संख्या 2 में जिन आधारों का आग्रह किया गया है, वे बहुत अधिक उपलब्ध [2022] 8 एस. सी. आर. थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जब अपीलकर्ता-डिस्कॉम्स ने 17 मई, 2013 को एम. ओ. ए. और 28 अप्रैल, 2016 को निरंतरता समझौता किया था। [पैरा 79] [226-सी-ई] 2. किसी भी मामले में, अपीलार्थियों का आचरण-डिस्कॉम्स, वर्तमान मामले में, उन्हें वापस लेने के लिए अयोग्य ठहराएगा

आवेदन। [पैरा 87] [230-- सी-डी]

3. एक अन्य तर्क, कि परियोजना की पूंजी लागत में वृद्धि के कारण, अपीलकर्ता-डिस्कॉम्स होगा

बहुत अधिक दर पर बिजली खरीदने की आवश्यकता भी नहीं है

पानी पकड़ो। राज्य विद्युत नियामक आयोग शुल्क का निर्धारण करते समय विभिन्न कारकों द्वारा निर्देशित होगा जिन्हें विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में, अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स ने स्वयं प्रत्येक घटक पर लागत की शुद्धता को चुनौती देने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है।

राज्य आयोग के समक्ष उपयुक्त चरण। केवल इसलिए कि परियोजना की लागत का अनुमान एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा एक विशेष राशि पर लगाया जाता है, राज्य आयोग इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य आयोग केवल लागत को मंजूरी देगा क्योंकि वह उचित महसूस करेगा, जैसा कि धारा 61 के तहत प्रावधानों द्वारा निर्देशित किया गया है।

2003 का अधिनियम और विनियम। मामले के उस दृष्टिकोण में, इस संबंध में तर्क भी आधारहीन है। [पैरा

88] [230 - डी-एच] 4. किसी भी स्थिति में, राज्य आयोग ने एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा दायर 2015 के ओ. पी. No.21 को खारिज करने में पूरी तरह से गलती की। 2003 के अधिनियम की धारा 64 के अवलोकन से पता चलता है कि एक पीढ़ी भी

कंपनी 2003 के अधिनियम की धारा 62 के तहत शुल्क के निर्धारण के लिए आवेदन करने की हकदार है। इस तरह, चाहे जो भी हो

यह प्रश्न कि क्या अपीलार्थियों द्वारा दायर 2016 के ओ. पी. No.19 को वापस लेने के लिए एक आवेदन-डिस्कॉम्स पर विचार किया जा सकता था, राज्य आयोग एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा दायर 2015 के O.P.No.21 को खारिज करने में पूरी तरह से अनुचित था। किसी भी मामले में, वर्तमान मामले के तथ्यों में और विशेष रूप से, अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स के आचरण को ध्यान में रखते हुए, ए. पी. टी. ई. एल. ने सही निर्णय दिया कि अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स को 2016 के ओ. पी. No.19 को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी।

[पैरा 99] [230 ए-सी] साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर कंपनी लिमिटेड। OFA.P। (एपीएसपीडीसीएल) v. एम/एस हिंदुजनल पावर कार्पोरेशन। लिमिटेड।

5. अपीलार्थी-डिस्कॉम इसके साधन हैं -

गैर-मनमानेपन, तर्कसंगतता और तर्कसंगतता के स्पर्श-पत्थर द्वारा निर्देशित। राज्य के प्रत्येक कार्य को समान रूप से जनहित द्वारा निर्देशित किया जाना आवश्यक है। सार्वजनिक पद का प्रत्येक धारक एक है न्यासी, जिनका सर्वोच्च कर्तव्य देश के लोगों के प्रति है। इसलिए लोक प्राधिकरण को शक्तियों का प्रयोग करना आवश्यक है।

केवल जनता की भलाई के लिए। [पैरा 100] [234-सी-ई]

6. परियोजना की पूँजी लागत का निर्धारण और

शुल्क की वह दर जिस पर बिजली खरीदी जानी है, हमेशा राज्य आयोग के नियामक नियंत्रण के अधीन होगी। ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा जो किया गया है वह केवल राज्य को निर्देशित कर रहा है। आयोग उसी को निर्धारित करने के लिए। [पैरा 104] [237-एफ-जी]

7. रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वर्ष 2012 से

4 जनवरी, 2018 तक आंध्र प्रदेश राज्य के साथ-साथ ए. पी. डी. आई. एस. सी. ओ. एम. एस. का यह निरंतर रुख था कि वह एच. एन. पी. सी. एल. की परियोजना से उत्पन्न बिजली की खरीद करेगा। एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा न केवल पूंजी लागत के निर्धारण के लिए 2015 का ओ. पी. No.21 आवेदन दायर किया गया था, बल्कि अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स द्वारा 1998 के संशोधित और पुनर्स्थापित पी. पी. ए. के साथ 28 अप्रैल, 2016 के निरंतरता समझौते को मंजूरी देने के लिए 2016 का ओ. पी. No.19 भी दायर किया गया था। अंततः 15 मई, 2017 को मामलों की सुनवाई हुई और आदेशों के लिए बंद कर दिया गया। कुछ लोगों के लिए

अज्ञात कारण, विशेष रूप से ज्ञान के भीतर अपीलार्थी-डिस्कॉम्स, 15 मई, 2017 और 4 जनवरी, 2018 के बीच चीजें गड़बड़ हो गईं, जिस तारीख को अपीलार्थी

—

डिस्कॉम्स ने एक बड़ा कदम उठाया और 2016 के ओ. पी. No.19 को वापस लेने और 2015 के ओ. पी. No.21 के निपटारे के लिए आवेदन दायर किए। राज्य के प्रत्येक निर्णय को जनहित द्वारा निर्देशित किया जाना आवश्यक है और शक्ति का उपयोग सार्वजनिक भलाई के लिए किया जाना है। अज्ञात कारणों से, अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स ने फिर से दायर करने का निर्णय लिया

एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा किया गया निवेश बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हजारों एकड़ भूमि सहित जनता के मूल्यवान संसाधन भी बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद में जाओ। कारण/आधार, जो दिए जाने की मांग की गई है [2022] 8 एस. सी. आर.

2016 के ओ. पी. <आई. डी. 1 में 2018 की आई. ए. संख्या 1 और 2015 के ओ. पी. <आई. डी. 2 में 2018 की आई. ए. संख्या 2, जो 4 जनवरी, 2018 को दाखिल की गई थी, बहुत अधिक थीं।

2011 से 15 मई, 2017 के बीच उपलब्ध। ऐसा नहीं है कि 15 मई, 2017 और 4 मई के बीच कुछ नया सामने आया है।

जनवरी, 2018, जो अपीलकर्ताओं को अपने पहले के रुख से पीछे हटने का अधिकार देता। याचिकाकर्ताओं

डिस्कॉम्स को अपनी इच्छानुसार निर्णय को बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी और विशेष रूप से, जब यह सार्वजनिक हित और सार्वजनिक भलाई के लिए प्रतिकूल हो। अभिलेख स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि निर्णय में परिवर्तन मनमाना, तर्कहीन और

अनुचित है। [पैरा 105] [237-जी-एच; 238-ए-ई]

8. अपीलार्थियों द्वारा दायर 2016 के ओ. पी. <आई. डी. 1 में 2018 का आई. ए. नंबर 1 और 2015 के ओ. पी. <आई. डी. 2 में 2018 का आई. ए. नंबर 2-डिस्कॉम्स, ऐसे कार्य हैं, जो बिना किसी उचित और संभावित कारण के गलत तरीके से और जानबूझकर किए गए हैं। यह अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जो सार्वजनिक हित और सार्वजनिक भलाई को प्रभावित करता है, इसके लिए कोई तर्कसंगत या उचित आधार नहीं है। [पैरा 107] [239-डी-ई]

9. किसी भी मामले में, ए. पी. टी. ई. एल. के विवादित निर्णय को ऐसी प्रकृति का नहीं कहा जा सकता है, जिसे किसी भी पक्ष के हितों के लिए प्रतिकूल कहा जा सकता है। ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा जो किया गया है वह केवल राज्य आयोग को पूंजी लागत के निर्धारण के लिए दायर 2015 के ओ. पी. No.21 और संशोधित और पुनर्स्थापित पी. पी. ए. के अनुमोदन के लिए दायर 2016 के ओ. पी. No.19 का निपटान करने का निर्देश देने के लिए है।

(निरंतरता समझौता) गुण-दोष पर। रिमांड पर, राज्य आयोग उक्त ओ. पी. पर निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों द्वारा उठाए जाने वाले सभी प्रासंगिक कारकों और तर्कों पर विचार करने के लिए बाध्य होगा। [पैरा 109] [239-एफ-जी]

हुलास राय बैज नाथ बनाम। फर्म के. बी. बास एंड कंपनी [1967] 3

एससीआर 886-प्रतिष्ठित।

अर्जुन सिंह बनाम। मोहिंद्र कुमार एयर 1964 एससी 993: [1964] 5 एससीआर 946; टाटा पावर कंपनी लिमिटेड बनाम। रिलायंस एनर्जी लिमिटेड और अन्य (2009) 16 एस. सी. सी. 659: [2009] 9 एस. सी. आर. 625; कुमारी श्रीलेखा विद्यार्थी और

अन्य वी। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य (1991) 1 एस. सी. सी. 212:

साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर कंपनी लिमिटेड OFA.P। (एपीएसपीडीसीएल) v. एम/एस हिंदुजनल पावर कार्पोरेशन। लिमिटेड।

[1990] 1 पूरक। एस. सी. आर. 625; भारतीय खाद्य निगम

वी. मेसर्स कामधेनू कैटल फीड इंडस्ट्रीज (1993) 1 एससीसी

71 : [1992] 2 पूरक। एस. सी. आर. 322; इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन

लिमिटेड और अन्य वी। शशि प्रभा शुक्ला और एक अन्य

(2018) 12 एससीसी 85: [2017] 13 एस. सी. आर. 268 और कालभारती

विज्ञापन वी. हेमंत विमलनाथ नरीचनिया और अन्य

(2010) 9 एससीसी 437 [2010] 10 एससीआर 971-संदर्भित।

बोएल ब्के व्हार्फिंगर्स लिमिटेड बनाम किंग्स लिन कन्जर्वेंसी

बोर्ड (1971) 1 डब्ल्यू. एल. आर. 1558 [अपील न्यायालय, इंग्लैंड]

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1967] 3 एससीआर 886

प्रतिष्ठित

पैरा 33

[1964] 5 एससीआर 946

पैरा 41 (i)

संदर्भित किया गया है

[2009] 9 एससीआर 625

संदर्भित किया गया है

पैरा 89

[1990] 1 पूरक। एससीआर 625

संदर्भित किया गया है

पैरा 101

[1992] 2 पूरक। एससीआर 322

पैरा 102

संदर्भित किया गया है

[2017] 13 एससीआर 268

संदर्भित किया गया है

पैरा 103

[2010] 10 एससीआर 971

संदर्भित किया गया है

पैरा 106

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1844

2020 से।

अपीलीय के 07.01.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 की अपील संख्या 41 में नई दिल्ली में विद्युत न्यायाधिकरण।

सी. एस. वैद्यनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , महफूज़ अहसान नाज़की, पोलांकी

गौतम, सुश्री राजेश्वरी मुखर्जी, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

डॉ. अभिषेक एम. सिंघवी, एम. जी. रामचंद्रन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अतुल

शर्मा, अभिषेक शर्मा, सुश्री हर्षिता अग्रवाल, शुभम आर्य, सुश्री एल. निधिराम शर्मा, आलोक त्रिपाठी, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. अपीलार्थियों द्वारा दायर वर्तमान अपील-वितरण

कंपनियाँ (इसके बाद "अपीलकर्ता-डिस्कॉम्स" के रूप में संदर्भित) बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (इसके बाद "एपीटीईएल" के रूप में संदर्भित) द्वारा 2018 की अपील संख्या 41 में पारित 7 जनवरी, 2020 के फैसले और आदेश को चुनौती देती हैं, जिससे [2022] 8 एस. सी. आर. को अनुमति मिलती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रत्यर्थी संख्या 1-मेसर्स हिंदुजा नेशनल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद "एचएनपीसीएल" के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर अपील। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, ए. पी. टी. ई. एल. ने आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (जिसे इसके बाद "राज्य आयोग" के रूप में संदर्भित किया गया है) को निर्देश दिया है कि वह एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा पूंजी लागत के निर्धारण के लिए दायर 2015 के ओ. पी. No.21 और अपीलकर्ताओं द्वारा दायर 2016 के ओ. पी. संख्या 19-संशोधित और पुनर्निर्धारित बिजली खरीद समझौते (जिसे इसके बाद "पी. पी. ए". के रूप में संदर्भित किया गया है) (निरंतरता समझौता) के गुण-दोष पर अनुमोदन के लिए निपटान करे।

2. संक्षेप में, वर्तमान अपील को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गतः

3. पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड

(इसके बाद "एपीएसईबी" के रूप में संदर्भित) ने 17 जुलाई, 1992 को एचएनपीसीएल के साथ एक समझौता ज्ञापन (इसके बाद "एमओयू" के रूप में संदर्भित) पर हस्ताक्षर किए। उक्त समझौता ज्ञापन के अनुसार, एपीएसईबी ने पहले विशाखापत्तनम में बिजली परियोजना की स्थापना के लिए आवश्यक सभी लाइसेंस, अनुमोदन, मंजूरी और परमिट, ईंधन लिंकेज, पानी का हस्तांतरण किया था।

आंध्र प्रदेश राज्य, एच. एन. पी. सी. एल. को बिजली पैदा करने और ए. पी. एस. ई. बी. को आपूर्ति करने के लिए।

4. 9 दिसंबर, 1994 को ए. पी. एस. ई. बी. और एच. एन. पी. सी. एल. के बीच प्रारंभिक पी. पी. ए. किया गया था। 25 जुलाई, 1996 को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.) ने बिजली परियोजना के लिए तकनीकी आर्थिक मंजूरी प्रदान की। 4628.11 करोड़ (रु। 4. 45 करोड़ प्रति मेगावाट)।

5. शर्तों में कुछ बदलाव के कारण, पक्ष प्रारंभिक पी. पी. ए. में संशोधन करने के लिए सहमत हुए। तदनुसार, संशोधित और पुनर्स्थापित पी. पी. ए.

दिनांक 15 अप्रैल, 1998 को एपीएसईबी और एचएनपीसीएल के बीच प्रवेश किया गया था। वर्ष 1998 और 2007 के बीच, एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा ए. पी. एस. ई. बी. को बिजली की बिक्री के लिए संशोधित और पुनर्स्थापित पी. पी. ए. लागू नहीं किया गया था। इसके बाद, वर्ष 2007 में, एचएनपीसीएल ने आंध्र सरकार से संपर्क किया

बिजली परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए प्रदेश इसे मुख्य रूप से एक व्यापारी संयंत्र के रूप में संरचित करेगा, जो राज्य को उत्पादित बिजली का 25 प्रतिशत और शेष 75 प्रतिशत बिजली तीसरे पक्ष को प्रदान करेगा। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई थी और राज्य सरकार ने एच. एन. पी. सी. एल. के संयंत्र से उत्पन्न बिजली खरीदने की पेशकश की थी।

एचएनपीसीएल ने इस पर सहमति व्यक्त की थी। यही बात अभिलेख पर रखी गई सामग्री से स्पष्ट रूप से स्पष्ट होगी, जिसका हम आगे उल्लेख करेंगे।

साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर कंपनी लिमिटेड OFA.P।

(एपीएसपीडीसीएल) v. एम/एस हिंदुजनल पावर कार्पोरेशन। लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

6. अभिलेख पर रखी गई सामग्री से पता चलता है कि वर्ष 2011-2012 में आंध्र प्रदेश की चार वितरण कंपनियों (इसके बाद "एपीडीआईएससीओएमएस" के रूप में संदर्भित) के लिए और उनकी ओर से आंध्र प्रदेश लिमिटेड की केंद्रीय बिजली वितरण कंपनी (इसके बाद "एपीसीपीडीसीएल" के रूप में संदर्भित) ने बिजली की खरीद की प्रक्रिया शुरू की थी

केस-1 दीर्घकालिक बोली मार्ग के तहत, वर्ष 2014-2015 के बाद से ए. पी. डी. आई. एस. सी. ओ. एम. एस. की आधार भार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। उक्त बोली प्रक्रिया में, एच. एन. पी. सी. एल. ने भाग लिया और सफलतापूर्वक दूसरे सबसे कम बोली लगाने वाले (एल-2 बोलीदाता) के रूप में उभरा। बोली प्रक्रिया पूरी होने के बाद एपीसीपीडीसीएल ने राज्य आयोग के समक्ष 2013 का ओ. पी. No.55 दाखिल किया था।

टैरिफ के अनुमोदन के लिए उक्त बोली प्रक्रिया में उभरा। हालांकि, केस-1 बोली के मूल्यांकन के लिए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति (इसके बाद "बोली मूल्यांकन समिति" के रूप में) ने 28 सितंबर, 2012 को अपनी बैठक में कहा था कि राज्य सरकार ने सूचित किया था कि

कि एच. एन. पी. सी. एल. की पूरी क्षमता A.P./APDISCOMS राज्य के लिए बोझिल थी और निविदा के तहत विचार के लिए उपलब्ध नहीं थी। तदनुसार, बोली मूल्यांकन समिति ने एचएनपीसीएल को बोली प्रक्रिया से हटा दिया था।

7. इस बीच, परियोजना के विकास के लिए उठाए जाने वाले कदमों और अनुरोध के संबंध में एचएनपीसीएल और राज्य सरकार के बीच वर्ष 2012 में एक पत्राचार हुआ था। परियोजना के निर्धारित संचालन के लिए राज्य का समर्थन। इस संबंध में एच. एन. पी. सी. एल. ने 6 अगस्त, 2012 को पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था।

परियोजना को विकसित करने के अपने इरादे को व्यक्त करना और राज्य का समर्थन प्राप्त करना। 26 दिसंबर, 2012 के संचार के माध्यम से, राज्य सरकार ने एच. एन. पी. सी. एल. को उसके प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए एक पत्र लिखा और संशोधित और पुनर्स्थापित पी. पी. ए. के अनुसार एच. एन. पी. सी. एल. की परियोजना से बिजली खरीदने पर सहमति व्यक्त की। दिनांक 14 जनवरी, 2013 के संचार के माध्यम से,

एच. एन. पी. सी. एल. ने राज्य आयोग द्वारा निर्धारित किए जाने वाले शुल्क पर राज्य-वितरण कंपनियों को बिजली की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की।

8. एच. एन. पी. सी. एल. ने 16 मई, 2013 को अपीलार्थियों को संबोधित संचार के माध्यम से- डिस्कॉम्स, अन्य बातों के साथ, उसमें प्रदान किया गया है। बिजली परियोजना की अनुमानित पूंजी लागत के संबंध में विवरण

जून, 2010 में दिए गए Rs.5545 करोड़ की तुलना में Rs.6098 करोड़ की राशि। अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स ने दिनांक 17 मई, 2013 को संचार के माध्यम से एचएनपीसीएल द्वारा प्रस्तुत पूंजीगत लागत के बारे में अपनी आपत्ति व्यक्त की और राज्य आयोग के समक्ष इसे लड़ने के अपने अधिकार सुरक्षित रखे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. उसी दिन, यानी 17 मई, 2013 को, ए. पी. डी. आई. एस. सी. ओ. एम. एस. और एच. एन. पी. सी. एल. के बीच एक समझौता ज्ञापन (जिसे इसके बाद "एम. ओ. ए". के रूप में संदर्भित किया गया है) पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे इसे जारी रखने का निर्णय लिया गया।

संशोधित और पुनर्निर्धारित पी. पी. ए. दिनांक 15 अप्रैल, 1998, उसमें निर्धारित नियमों और शर्तों पर। उपरोक्त एम. ओ. ए. के अनुसरण में, एच. एन. पी. सी. एल. और महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के बीच कोयले के लिए 26 अगस्त, 2013 को एक ईंधन आपूर्ति समझौता (संक्षिप्त में "एफ. एस. ए".) किया गया।

उक्त परियोजना के लिए आपूर्ति। 10. 12 मार्च, 2014 को एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा राज्य आयोग के समक्ष 2015 का ओ. पी. No.21 याचिका दायर की गई।

परियोजना के लिए पूंजीगत लागत का निर्धारण और एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा बिजली के ऐसे उत्पादन और बिक्री के लिए शुल्क का निर्धारण

11. इसके बाद 2 जून, 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (जिसे इसके बाद "पुनर्गठन" के रूप में संदर्भित किया गया है) लागू किया गया। अधिनियम ") लागू हुआ जिसके माध्यम से पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य को दो राज्यों, यानी आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य में विभाजित किया गया था।

12. 28 जुलाई, 2015 को एच. एन. पी. सी. एल. ने 2015 के ओ. पी. No.21 में एक परिशिष्ट आवेदन दायर किया, जिससे परियोजना की पूंजी लागत में वृद्धि हुई। 8, 087 करोड़ रुपये। यह पूंजीगत लागत ए. पी. डी. आई. एस. सी. ओ. एम. एस. द्वारा विवादित थी।

13. 11 जनवरी, 2016 को एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा बिजली परियोजना (520 मेगावाट) की पहली इकाई को वाणिज्यिक संचालन तिथि (सी. ओ. डी.) घोषित किया गया था।

1 मार्च, 2016 के अंतरिम आदेश के माध्यम से, राज्य आयोग ने 1 करोड़ रुपये की दर से अस्थायी शुल्क निर्धारित किया। एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा ए. पी. डी. आई. एस. सी. ओ. एम. एस. को बिजली की आपूर्ति के लिए 3.61 रुपये प्रति यूनिट।

15. 28 अप्रैल, 2016 को अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स यानी सदर्न पावर सहित अलग-अलग बिजली वितरण निगमों का गठन किया गया था। डिस्ट्रीब्यूशन पावर कंपनी लिमिटेड ऑफ आंध्र प्रदेश ("एपीएसपीडीसीएल") और ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश

(“ एपीईपीडीसीएल ")। इन निगमों ने ए. पी. एस. ई. बी. का स्थान लिया, जिसने एच. एन. पी. सी. एल. के साथ 15 अप्रैल, 1998 को संशोधित और पुनर्स्थापित पी. पी. ए. किया था। इस प्रकार, संशोधित और दक्षिण पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर कंपनी लिमिटेड के लिए निरंतरता समझौता।

OFA.P।

(एपीएसपीडीसीएल) v. एम/एस हिंदुजनल पावर कार्पोरेशन। लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.] 28 अप्रैल, 2016 को अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स और एच. एन. पी. सी. एल. के बीच पुनर्निर्धारित पी. पी. ए. किया गया था।

16. 11 मई, 2016 को अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स ने राज्य आयोग के समक्ष 2016 के ओ. पी. No.19 के रूप में एक याचिका दायर की।

28 अप्रैल, 2016 का निरंतरता समझौता, जिसे 15 अप्रैल, 1998 के संशोधित और पुनर्स्थापित पी. पी. ए. के साथ पढ़ा गया।

17. राज्य सरकार ने 1 जून, 2016 के आदेश के माध्यम से एचएनपीसीएल से 100% बिजली की खरीद को मंजूरी दी।

18. 3 जुलाई, 2016 को एचएनपीसीएल की दूसरी इकाई (520 मेगावाट) को एचएनपीसीएल द्वारा सीओडी घोषित किया गया। 19. 6 अगस्त, 2016 के आदेश के माध्यम से, राज्य आयोग ने रुपये की दर से अस्थायी शुल्क का पुनर्निर्धारण किया। 32 प्रति इकाई, देय

अपीलार्थियों द्वारा-एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा आपूर्ति की जाने वाली बिजली के लिए वितरण।

20. 15 मई, 2017 को, राज्य आयोग ने गुण-दोष पर पक्षों को सुनने के बाद, दोनों याचिकाओं, यानी 2016 के ओ. पी. No.19 और 2015 के ओ. पी. No.21 में निर्णय सुरक्षित रख लिया।

22. इसके बाद 4 जनवरी, 2018 को अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स ने दो अंतर्वर्ती आवेदन दायर किए। , (i) ओ. पी. में 2018 का आई. ए. नंबर 1। प्रारंभिक पी. पी. ए. के साथ 2016 के ओ. पी. सं. 19 को वापस लेने के लिए 2016 का सं. 19; और (ii) 2015 के ओ. पी. No.21 के निपटान के लिए 2015 के ओ. पी. No.21 में 2018 की आई. ए. संख्या 2।

23. 31 जनवरी, 2018 के आदेश के माध्यम से राज्य आयोग ने अपीलार्थियों द्वारा दायर 2016 के ओ. पी. No.19 को वापस लेने की अनुमति दी।

पी. पी. ए. की मंजूरी की मांग करने वाले डिस्कॉम्स और इसके परिणामस्वरूप एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा शुल्क निर्धारण की मांग करने वाले 2015 के ओ. पी. No.21 को खारिज कर दिया गया। 24. इससे व्यथित होकर, एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष 2018 की अपील No.41 दायर की गई। उक्त अपील को ए. पी. टी. ई. एल. ने 26 फरवरी, 2018 के आदेश के माध्यम से स्वीकार किया। ए. पी. टी. ई. एल. ने 16 मार्च, 2018 के आदेश के माध्यम से उक्त अपील में 2018 के आई. ए. No.211 में पारित किया, एक तदर्थ व्यवस्था के रूप में, निर्देश दिया [2022] 8 एस. सी. आर.

पक्षकारों को 31 जनवरी, 2018 से पहले की यथास्थिति बनाए रखने के लिए। यह मुख्य अपील, यानी 2018 की अपील No.41 में पक्षों के अधिकारों और दलीलों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना था।

एचएनपीसीएल द्वारा दायर किया गया। उक्त रिट याचिकाओं को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 2 मई, 2018 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया। 26. इस बीच, 16 अप्रैल, 2018 को एच. एन. पी. सी. एल. ने 2018 की निष्पादन याचिका संख्या 3 के रूप में एक निष्पादन याचिका दायर की थी।

ए. पी. टी. ई. एल. ने 2018 की अपील No.41 में 2018 के आई. ए. No.211 में ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा पारित 16 मार्च, 2018 के आदेश के निष्पादन की मांग की। 31 मई, 2018 के आदेश के अनुसार उक्त निष्पादन याचिका में ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा कुछ निर्देश पारित किए गए थे।

27. अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स ने इस न्यायालय के समक्ष 2018 की सिविल अपील No.5772 के माध्यम से एपीटीईएल द्वारा पारित 16 मार्च, 2018 के आदेश को भी चुनौती दी थी। इस न्यायालय ने 4 जून, 2018 के आदेश के माध्यम से उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह एक अंतरिम आदेश था। तथापि, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि उसके समक्ष आक्षेपित आदेश में टिप्पणियों को निर्णायक के रूप में विचार में लिए बिना अपील पर शीघ्रता से निर्णय लिया जाए।

28. 7 जनवरी, 2020 के विवादित फैसले और आदेश के माध्यम से, ए. पी. टी. ई. एल. ने एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा दायर अपील को स्वीकार किया और राज्य को निर्देश दिया

2015 के ओ. पी. No.21 और 2016 के ओ. पी. No.19 के निपटान के लिए आयोग। इससे व्यथित होकर, अपीलार्थी-डिस्कॉम्स ने वर्तमान अपील के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

29. 14 जुलाई, 2020 को इस न्यायालय ने वर्तमान अपील में निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

अपील स्वीकार की जाती है। अगले आदेश तक, द्वारा पारित विवादित आदेश

बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण नई दिल्ली में अपील संख्या 41 /

2019 बने रहेंगे।

चार सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए सूची। साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर कंपनी लिमिटेड OFA.P।

(एपीएसपीडीसीएल) v. एम/एस हिंदुजनल पावर कार्पोरेशन। लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

30. संशोधन के लिए 2020 का आई. ए. No.67061 आवेदन

उक्त आदेश दिनांक 14 जुलाई, 2020 को एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा दाखिल किया गया। इस न्यायालय ने 21 अगस्त, 2020 के आदेश के माध्यम से आदेश को निम्नानुसार संशोधित कियाः

" सुना है।

दिनांक 14.07.2020 के आदेश द्वारा, हमने अपील No.41/2019 में बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित विवादित आदेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया।

हम स्पष्ट करते हैं कि बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 16.03.2018 के आदेश पर कोई रोक नहीं होगी, जिसमें अंतरिम उपाय का प्रावधान है। तदनुसार आदेश दें।

तत्काल अंतर्वर्ती आवेदन का निपटारा कर दिया गया है

तदनुसार "

31. अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि मध्यवर्ती अवधि के दौरान, दोनों पक्षों से कुछ वार्ताकार आवेदन दायर किए गए हैं,

जिसमें, अपीलकर्ता-डिस्कॉम 21 अगस्त, 2020 के अंतरिम आदेश को हटाने की मांग कर रहे हैं, जबकि एचएनपीसीएल 21 अगस्त, 2020 के आदेश को लागू करने की मांग कर रहा है। अभिलेख से पता चलता है कि मामले को समय-समय पर स्थगित किया गया है और अंततः इस न्यायालय द्वारा 20 जनवरी, 2022 को सुनवाई की गई।

32. हमने अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स और डॉ. अभिषेक की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सी. एस. वैद्यनाथन को सुना है। मनु सिंघवी और श्री एम. जी. रामचंद्रन, एच. एन. पी. सी. एल. की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हैं।

33. अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री सी. एस. वैद्यनाथन ने कहा कि एपीटीईएल ने

यह अभिनिर्धारित करने में घोर त्रुटि की गई कि अपीलार्थी-डिस्कॉम 2016 के ओ. पी. संख्या 19 को वापस लेने के लिए आवेदन करने के हकदार नहीं थे, जिसे अनुमोदन के अनुदान के लिए दायर किया गया था। पी. पी. ए.। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब तक कानून में निषेध नहीं था, अपीलार्थी उनके द्वारा दायर ओ. पी. को वापस लेने के लिए आवेदन करने के अपने अधिकार के भीतर थे। इस संबंध में, श्री वैद्यनाथन ने निम्नलिखित अधिकारियों पर भरोसा कियाः

बोएल क्रे व्हार्फिंगर्स लिमिटेड बनाम किंग्स लिन कन्जर्वेंसी

((i)

बोर्ड 1 और

हुलास राय बैज नाथ बनाम। फर्म के. बी. बास एंड कंपनी 2

((ख)

1 (1971) 1 डब्ल्यू. एल. आर. 1558 [अपील न्यायालय, इंग्लैंड) 2 (1967) 3 एस. सी. आर. 886 [2022] 8 एस. सी. आर.

34. श्री वैद्यनाथन ने आगे कहा कि पीपीए एक वैध दस्तावेज नहीं था जब तक कि इसे राज्य आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1) (बी) (इसके बाद "2003 का अधिनियम" के रूप में संदर्भित)। उन्होंने आगे कहा कि आंध्र प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1998 की धारा 21 के तहत (जिसे इसके बाद "सुधार अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है), लिखित में पूर्व सहमति के बिना ऊर्जा के उत्पादन, प्रसारण, वितरण या आपूर्ति से संबंधित कोई भी समझौता।

आयोग का आदेश शुरू से ही अमान्य था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विवादित निर्णय द्वारा, ए. पी. टी. ई. एल. ने प्रभावी रूप से एच. एन. पी. सी. एल. को एक अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन का आदेश दिया है, जो शुरुआत से ही अमान्य है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया

यह कि 17 मई, 2013 का एम. ओ. ए. और 28 अप्रैल, 2016 का निरंतरता समझौता स्वयं 2003 के अधिनियम की धारा 3 और 2003 के अधिनियम के विनियमन 5.2 (बी) के तहत जारी राष्ट्रीय शुल्क नीति के विपरीत था।

आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एक राज्य द्वारा बिजली की आपूर्ति के लिए शुल्क के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें)

राज्य आयोग द्वारा जारी विनियमन, 2008 (2008 का विनियमन संख्या 1) (जिसे इसके बाद 'शुल्क विनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है)। इस प्रकार, ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा एच. एन. पी. सी. एल. से बिजली की आपूर्ति जारी रखने का निर्देश, वैधानिक प्रावधान के विपरीत होने के कारण, कानून में मान्य नहीं होगा। 35. श्री वैद्यनाथन ने कहा कि वर्तमान परियोजना शुल्क के विनियमन 5.2 में उल्लिखित किसी भी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती है

विनियम, जिन पहलुओं पर विचार नहीं किया गया है

एपीटीईएल।

36. श्री वैद्यनाथन ने आगे कहा कि ए. पी. टी. ई. एल. के निष्कर्ष के अनुसार, एच. एन. पी. सी. एल. ने इसके आधार पर भारी निवेश किया था

अपीलार्थियों द्वारा दिया गया आश्वासन-डिस्कॉम्स कि वे इससे 100% बिजली खरीदेंगे, अपने आप में गलत है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक

एच. एन. पी. सी. एल. की परियोजना 1996 से 2007 तक ठंडे बस्ते में पड़ी थी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2007 में एच. एन. पी. सी. एल. ने इस परियोजना को एक वाणिज्यिक बिजली संयंत्र के रूप में पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि एच. एन. पी. सी. एल. की परियोजना भी वर्ष 2010 में वित्तीय रूप से बंद हो गई थी। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार द्वारा एच. एन. पी. सी. एल. के प्रस्ताव की स्वीकृति से पहले, एच. एन. पी. सी. एल. ने परियोजना का 93 प्रतिशत तक पूरा कर लिया था। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह निष्कर्ष कि एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा किया गया भारी निवेश राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व के आधार पर था, पूरी तरह से गलत है। किसी भी मामले में, वह प्रस्तुत करता

है कि अपीलकर्ता-डिस्कॉम स्वतंत्र प्राधिकरण हैं और साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर कंपनी लिमिटेड से बाध्य नहीं हैं।

OFA.P।

(एपीएसपीडीसीएल) v. एम/एस हिंदुजनल पावर कार्पोरेशन। लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

राज्य का निर्णय। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 2003 के अधिनियम की योजना के तहत, अपीलकर्ता-डिस्कॉम राज्य आयोग की पूर्व मंजूरी के बिना बिजली नहीं खरीद सकते हैं। वह प्रस्तुत करता है कि उक्त मामले में राज्य की कोई भूमिका नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, किसी भी मामले में,

अपीलार्थी-डिस्कॉम राज्य सरकार द्वारा किए गए अभ्यावेदन से बाध्य नहीं हो सकते थे।

37. श्री वैद्यनाथन ने आगे कहा कि एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा वर्ष 2007 में परियोजना की पुनः शुरुआत के बाद से यह एक व्यापारी-शक्ति के रूप में है।

संयंत्र, यह बाजार में तीसरे पक्ष को बिजली बहुत अच्छी तरह से बेच सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि हालाँकि, अपीलकर्ता-डिस्कॉम्स नहीं हो सकते हैं

एच. एन. पी. सी. एल. से बिजली खरीदने के लिए मजबूर होना, जो बहुत अधिक कीमत पर होगी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि परियोजना की पूंजीगत लागत, जो शुरू में रु। 4628.11 करोड़ अब Rs.8087 करोड़ हो गए हैं, जिसका सीधा प्रभाव अपीलकर्ताओं द्वारा बिजली की खरीद मूल्य-डिस्कॉम्स पर पड़ेगा। अतः वह प्रस्तुत करता है कि यदि

अपीलकर्ता-डिस्कॉम को इतनी अधिक कीमत पर बिजली खरीदने का निर्देश दिया जाता है, जिससे अंततः उपभोक्ताओं को नुकसान होगा और इस प्रकार, ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा दिया गया निर्देश भी जनहित के खिलाफ है।

38. इसके विपरीत, एच. एन. पी. सी. एल. की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और श्री एम. जी. रामचंद्रन ने कहा कि ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा पारित आदेश ऐसा है, जो अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। डॉ. सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश द्वारा, ए. पी. टी. ई. एल. ने केवल राज्य आयोग को निर्देश दिया है कि वह एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा पूंजी लागत के निर्धारण के लिए दायर 2015 के ओ. पी. No.21 और अपीलकर्ताओं द्वारा दायर 2016 के ओ. पी. संख्या 19-गुण-दोष के आधार पर संशोधित और पुनर्स्थापित पी. पी. ए. के अनुमोदन के लिए डी. एस. सी. ओ. एम. एस. का निपटारा करे। 39. डॉ. सिंघवी प्रस्तुत करते हैं कि ए. पी. टी. ई. एल. ने ठोस और विस्तृत कारण दिए हैं और इस प्रकार, वर्तमान अपील में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

40. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एम. जी. रामचंद्रन ने कहा कि जब आवेदन वापस लेने की मांग की जाती है, तो इसका प्रभाव पड़ता है

अनुबंध को विफल करने और प्रतिवादी के अधिकार को पराजित करने के लिए, अपीलार्थी के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें कार्यवाही वापस लेने का अधिकार है। उन्होंने इस प्रस्ताव के समर्थन में निम्नलिखित अधिकारियों पर भरोसा किया।

मधु जाजू बनाम। राजस्थान राज्य 3

((i) (
(ख)

किरण गिरहोत्रा और अन्य। वी. राज कुमार & Ors.4

3 3 आकाशवाणी 1999 राज 1 4 (2009) 164 डीएलटी 483 [2022] 8 एस. सी. आर.

((iii) एम. राधाकृष्ण मूर्ति बनाम। ए. पी. की सरकार & Ors.5 (iv) श्रीमती। अजीता देवी बनाम। मस्त. होसेनारा बेगम

(v) माथुरलाल v. चिरंजी लाल '

(vi) कुलसचिव, मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय

वी. सुहुरा बेविस

41. श्री रामचंद्रन ने आगे कहा है कि

वापस लेना एक पूर्ण अधिकार नहीं है और एक बार निर्णय सुरक्षित रहने के बाद वापस लेने की मांग करने वाला कोई और आवेदन नहीं हो सकता है। समर्थन में

इस प्रस्ताव के लिए, उन्होंने निम्नलिखित अधिकारियों पर भरोसा कियाः

अर्जुन सिंह बनाम। मोहिंद्र कुमार

((i)

भारती बेहरा बनाम। झिली प्रव बेहरा 1 0

((ख)

(iii)

राबिया बी कासिम बनाम। देशव्यापी उपभोक्ता वित्तीय

सर्विसेज लिमिटेड 1 1

(€ (iv) पूज्य सिंधी पंचायत बनाम। प्रो. सी एल मिश्रा 1 2

(v) यश मेहरा बनाम। अरुंधति मेहरा 1 3

धरणी शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम। टीएमएन

(vi)

इंजीनियरिंग उद्योग 1 4

42. विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. सिंघवी ने आगे कहा कि वास्तव में, एचएनपीसीएल एक व्यापारी के रूप में परियोजना शुरू करना चाहता था।

बिजली संयंत्र। हालाँकि, यह आंध्र राज्य के आग्रह पर है

राज्य में उत्पन्न किया गया। उन्होंने आगे कहा कि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि एचएनपीसीएल ने प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में भाग लिया था एपीसीपीडीसीएल द्वारा संचालित। यह बोली मूल्यांकन का निर्णय था।

5 (2001) 3 एएलडी 330 (डीबी)

6 ए. आई. आर. 1977 कैल 59

7 1 आकाशवाणी 1962 राज 109

8 एयर 1995 मैड 42 9 ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 993 1 0 10 डब्ल्यू. पी. 2013 का उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा 18.04.2014 11 आई. एल. आर. 2004 के. ए. आर. 2215 पर निर्णय

12 आकाशवाणी 2002 राजस्थान 274 (डी. बी.)

13 (2006) 132 डी. एल. टी. 166 1 4 सी. आर. पी. पी. डी. No.3309 से 2011 का 3312 और 2011 का एम. पी. नंबर 1 मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 30.08.2017 साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर कंपनी लिमिटेड पर निर्णय लिया गया।

OFA.P।

(एपीएसपीडीसीएल) v. एम/एस हिंदुजनल पावर कार्पोरेशन। लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

समिति, एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा प्रस्तुत बोली पर इस आधार पर विचार नहीं करेगी कि एच. एन. पी. सी. एल. की परियोजना की पूरी उत्पादन क्षमता पहले से ही 1998 के संशोधित और पुनर्स्थापित पी. पी. ए. के तहत आंध्र प्रदेश राज्य पर निर्भर थी। उन्होंने आगे कहा कि न केवल यह बल्कि रिकॉर्ड पर रखे गए पूरे संचार से पता चलेगा कि यह राज्य सरकार थी, जिसने 15 अप्रैल, 1998 के संशोधित और पुनर्स्थापित पीपीए के अनुसार एचएनपीसीएल की परियोजना से बिजली खरीदने में अपनी रुचि व्यक्त की थी।

43. उन्होंने आगे कहा कि पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन और इसे दो राज्यों में विभाजित करने पर, अर्थात

आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य; हालांकि तेलंगाना राज्य ने एच. एन. पी. सी. एल. की परियोजना से 54 प्रतिशत बिजली की मांग की थी, आंध्र प्रदेश सरकार ने एच. एन. पी. सी. एल. को आंध्र प्रदेश राज्य को बिजली की 100% आपूर्ति करने के लिए जोर दिया। इसलिए वह प्रस्तुत करते हैं कि ए. पी. टी. ई. एल. ने अभिलेख पर रखी गई सामग्री की सराहना करते हुए सही कहा है कि यह राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व पर था कि एच. एन. पी. सी. एल. ने परियोजना के लिए भारी निवेश किया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स का यह तर्क कि यदि एचएनपीसीएल द्वारा उत्पन्न बिजली उनके द्वारा खरीदी जाती है, तो यह बहुत भारी कीमत पर होगी, पूरी तरह से गलत है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वास्तव में, जब एपीटीईएल और इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के अनुसार, अपीलकर्ता-डिस्कॉम्स एचएनपीसीएल से इस दर पर बिजली खरीद सकते थे रु. से। 32 प्रति इकाई, अपीलकर्ता-डिस्कॉम जनरेटरों से बहुत अधिक दर पर बिजली खरीद रहे हैं, जो योग्यता क्रम में एचएनपीसीएल से बहुत नीचे थे। वह आगे प्रस्तुत करता है कि अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स का आचरण पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण है। जब इस न्यायालय के साथ-साथ ए. पी. टी. ई. एल. के अंतरिम आदेशों के तहत, वे जिस दर पर खरीद रहे हैं, उसकी तुलना में बहुत कम कीमत पर बिजली खरीदने के लिए बाध्य थे, तो उन्होंने बहुत अधिक कीमत पर बिजली खरीदना जारी रखा। इसलिए वह प्रस्तुत करता है कि इस तरह का कार्य, इस न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने के अलावा, जनहित के विपरीत है।

44. डॉ. सिंघवी ने आगे कहा कि अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स के दुर्भावनापूर्ण रवैये के कारण, यह न केवल एचएनपीसीएल है, बल्कि जनता भी है

बड़े पैमाने पर, पीड़ित कौन हैं। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ रुपये का भारी निवेश बेकार पड़ा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि 1000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार पैदा करने के अलावा, उत्पादन परियोजना, जो पूरी तरह से चालू है, आंध्र प्रदेश राज्य में भी बिजली प्रदान करेगी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि [2022] 8 एस. सी. आर. का तर्क।

अपीलार्थी-यह बताना कि उन्होंने भारी पूंजी लागत और अधिक बिजली उपलब्ध होने के कारण आवेदन वापस लेने का फैसला किया था, भी तथ्यात्मक रूप से गलत है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि हाल ही में अपीलकर्ताओं ने 625 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए दिसंबर, 2021 में एस. ई. एम. बी. सी. ओ. आर. पी. एनर्जी इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। वे प्रस्तुत करते हैं कि जहाँ तक अपीलकर्ताओं द्वारा बिजली की खरीद की जाने वाली कीमत का संबंध है-एच. एन. पी. सी. एल. की उत्पादन इकाई से डिस्कॉम निर्धारित किया जाएगा।

राज्य आयोग द्वारा, जिसे परियोजना की पूंजी लागत को मंजूरी देते समय और साथ ही शुल्क निर्धारण का अभ्यास करते समय विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होगा। इसलिए विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

अपील करें।

45. वर्तमान मामले में तथ्य बहुत अधिक विवाद में नहीं हैं। यह विवाद में नहीं है कि 17 जुलाई, 1992 को दोनों के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ था।

एपीएसईबी और एचएनपीसीएल, जिसके माध्यम से एपीएसईबी ने परियोजना के लिए आवश्यक सभी लाइसेंस, अनुमोदन, मंजूरी और परमिट, ईंधन लिंकेज, पानी को एचएनपीसीएल को हस्तांतरित कर दिया था। यह भी विवाद में नहीं है कि 9 दिसंबर, 1994 को एचएनपीसीएल और एपीएसईबी के बीच एक प्रारंभिक पीपीए दर्ज किया गया था। उस पर

25 जुलाई, 1996 में सी. ई. आर. सी. ने बिजली परियोजना के लिए तकनीकी आर्थिक मंजूरी प्रदान की, जिसकी अनुमानित लागत रु। 4628.11 करोड़ (रु। 4. 45 करोड़ प्रति मेगावाट)। यह भी विवाद में नहीं है कि एपीएसईबी और एचएनपीसीएल 1994 के पी. पी. ए. में संशोधन के लिए पारस्परिक रूप से सहमति हुई और तदनुसार, एक संशोधित और पुनर्स्थापित पी. पी. ए. को 15 अप्रैल, 1998 को निष्पादित किया गया। यह भी विवाद में नहीं है कि 1996 से 2007 तक परियोजना ठंडे बस्ते में रही। वर्ष 2007 में एच. एन. पी. सी. एल. के प्रवर्तकों ने तत्कालीन माननीय से संपर्क किया

पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री और एच. एन. पी. सी. एल. के प्रवर्तकों के बीच कुछ चर्चाएं हुईं।

5 जनवरी, 2007 को श्री जी. पी. हिंदुजा ने पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री को एक संदेश संबोधित किया। उक्त से निम्नलिखित अंश का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा।

संचार, जो इस प्रकार हैः

" हमारी चर्चा के अनुसार मैं यहाँ नीचे संक्षेप में बता रहा हूँ

आपके तैयार संदर्भ के लिए प्रस्तावः

विजाग बिजली परियोजना को मुख्य रूप से एक व्यापारी के रूप में संरचित किया जाएगा।

1 .

संयंत्र और 1040 मेगावाट की प्रारंभिक क्षमता के साथ एक अवधि में कार्यान्वित किया गया और एक में 400 मेगावाट तक बढ़ाया गया चरणबद्ध तरीके से।

साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर कंपनी लिमिटेड OFA.P।

(एपीएसपीडीसीएल) v. एम/एस हिंदुजनल पावर कार्पोरेशन। लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

2. जी. ओ. ए. पी. परियोजना प्रायोजकों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगाः

1 करोड़ रुपये की राशि के भुगतान पर 1921.34 एकड़ की शेष भूमि का हस्तांतरण। 67.63 क्र. निर्माण, बिजली और पानी सहित बुनियादी ढांचे की सहायता।

परियोजना के लिए गोल मेगा स्थिति की सिफारिश करें। कोयले की आपूर्ति और परिवहन को पुनर्जीवित करें

समझौते।

एम. ओ. ई. एफ. से पर्यावरण मंजूरी को सुविधाजनक बनाना।

आई.

अन्य सभी लागू राज्य अनुमोदनों को मंजूरी।

3. एमओयू में जीओएपी को इनकार करने का पहला अधिकार होगा -

25 प्रतिशत बिजली विनियमित शुल्क पर खरीदें।

46. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि जब एच. एन. पी. सी. एल. ने पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव रखा

वर्ष 2007 में इस परियोजना को मुख्य रूप से एक व्यापारिक संयंत्र के रूप में संरचित किया गया था, जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार को विनियमित शुल्क पर 25 प्रतिशत बिजली खरीदने से इनकार करने का पहला अधिकार था।

47. यह भी विवाद में नहीं है कि एपीसीपीडीसीएल सभी की ओर से

चार ए. पी. डी. आई. एस. सी. ओ. एम. एस. (आंध्र प्रदेश लिमिटेड की केंद्रीय बिजली वितरण कंपनी, आंध्र प्रदेश लिमिटेड की दक्षिणी बिजली वितरण कंपनी, आंध्र प्रदेश लिमिटेड की उत्तरी बिजली वितरण कंपनी और आंध्र प्रदेश लिमिटेड की पूर्वी बिजली वितरण कंपनी) ने बिजली की खरीद के लिए बोली प्रक्रिया का संचालन किया था।

वर्ष 2014-2015 के बाद से ए. पी. डी. आई. एस. सी. ओ. एम. एस. की आधार भार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केस-1 के तहत 2000 मेगावाट +/- 20 प्रतिशत की बिजली। यह भी विवाद में नहीं है कि उक्त बोली प्रक्रिया में, एचएनपीसीएल ने भी अपनी बोली जमा की थी और सफलतापूर्वक एल-2 बोलीदाता के रूप में उभरा था। बोली प्रक्रिया पूरी होने के बाद, एपीसीपीडीसीएल ने उस शुल्क की मंजूरी के लिए आवेदन किया था जिस पर उक्त प्रक्रिया में सफल बोलीदाताओं से बिजली खरीदी जानी थी। राज्य आयोग द्वारा 2013 के ओ. पी. संख्या 55 में पारित 13 अगस्त, 2013 के आदेश के पैराग्राफ 4 (यू) का

उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जिसे चारों की ओर से ए. पी. सी. पी. डी. सी. एल. द्वारा दायर किया गया था।

ए. पी. डी. आई. एस. सी. ओ. एम. एस, जो इस प्रकार हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" यू) 28 सितंबर 2012 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त में बोली मूल्यांकन समिति ने उल्लेख किया कि "प्रधान सचिव, ऊर्जा ने मूल्यांकन समिति को सूचित किया कि

हिंदुजा नेशनल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एच. एन. पी. सी. एल.) की पूरी क्षमता ए. पी. के ए. पी./डिस्कॉम राज्य में निहित है और इसलिए इस निविदा के तहत विचार के लिए उपलब्ध नहीं है। इसलिए, एच. एन. पी. सी. एल. को बोली प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाना चाहिए और तदनुसार ए. पी. ई. आर. सी. को सूचित किया जाना चाहिए।

इसलिए समिति ने इस पर ध्यान दिया और एचएनपीसीएल को बोली प्रक्रिया से अलग करने का फैसला किया।

48. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि हालांकि एचएनपीसीएल ने सफलतापूर्वक

खुली बोली प्रक्रिया में एल-2 बोलीदाता के रूप में, यह था

आंध्र प्रदेश राज्य ने कहा कि बोली मूल्यांकन समिति ने एच. एन. पी. सी. एल. की बोली इस आधार पर लगाई कि एन. पी. सी. एल. की पूरी क्षमता आंध्र प्रदेश राज्य पर निर्भर थी।

इस्कॉम्स।

49. प्रधान सचिव द्वारा संबोधित दिनांक 26 दिसंबर, 2012 के निम्नलिखित अंश का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा।

सरकार, ऊर्जा विभाग से एच. एन. पी. सी. एल.:

" यह उपरोक्त उद्धृत पत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए है जिसमें आपके द्वारा विशाखापत्तनम में कोयले से चलने वाली बिजली परियोजना (1040 मेगावाट) के कार्यान्वयन और उससे बिजली की आपूर्ति की सूचना दी गई है। इसमें

इस संबंध में, एच. एन. पी. सी. एल. ने कुछ समर्थन मांगा है ताकि इसे प्राप्त किया जा सके।

जुलाई 2013 में शुरू होने वाली परियोजना का आरंभ होना निर्धारित है।

और 1998 में एच. एन. पी. सी. एल. ने व्यापक आधार पर 1992 में समझौता ज्ञापन पर आधारित 1998 में हस्ताक्षरित पी. पी. ए. में उल्लिखित शर्तों को छोड़कर

परिवर्तन के प्रभाव के कारण वे किस हद तक संशोधित हो सकते हैं ऐसी शक्ति का मार्गदर्शन करने वाले कानूनों/नियमों और नियामक मानकों में

1998 के बाद की परियोजनाएं।

2. इस पृष्ठभूमि में, आंध्र प्रदेश सरकार इसके द्वारा

बिजली परियोजना के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए सहमत हैं

अनुसूची चालू करने के लिए समय-सीमा प्राप्त करें। सरकार ने एपीडीआईएससीओएम को साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर कंपनी लिमिटेड के उत्तराधिकारी के रूप में निर्देशित करने का भी निर्णय लिया है।

OFA.P।

(एपीएसपीडीसीएल) v. एम/एस हिंदुजनल पावर कार्पोरेशन। लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

ए. पी. एस. ई. बी. की संस्थाएं एक निरंतरता समझौते में प्रवेश करेंगी

इस आशय के लिए एच. एन. पी. सी. एल. के साथ 1998 का पी. पी. ए.।

[जोर दिया गया]

50. 26 दिसंबर, 2012 के उक्त पत्र का अवलोकन

यह बताता है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने उक्त परियोजना से बिजली (ए. पी. डी. आई. एस. सी. ओ. एम. एस. के माध्यम से) की खरीद में अपनी रुचि दोहराई है, जैसा कि पहले से ही बीच में किए गए पुनर्निर्धारित पी. पी. ए. में विचार किया गया है।

1998 में ए. पी. एस. ई. बी. और एच. एन. पी. सी. एल. 1992 के समझौता ज्ञापन पर आधारित थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें उल्लेख किया गया है कि वे उस सीमा के अलावा होंगे जब तक वे खड़े हो सकते हैं। 1998 के बाद ऐसी बिजली परियोजनाओं का मार्गदर्शन करने वाले कानूनों/नियमों और नियामक मानकों में परिवर्तन के प्रभाव के कारण संशोधित किया गया। उक्त पत्र से यह भी पता चलेगा कि

कि सरकार ने एपीएसईबी की उत्तराधिकारी संस्थाओं के रूप में एपीडीआईएससीओएमएस को एचएनपीसीएल के साथ 1998 के पीपीए को जारी रखने के लिए एक समझौता करने का निर्देश देने का निर्णय लिया था। यह भी ध्यान देने योग्य होगा कि उक्त पत्र में यह देखा गया है कि राज्य सरकार पी. पी. ए. के निष्पादन के लिए तीन महीने के भीतर आवश्यक कदम उठाएगी और

स्टार्ट-अप बिजली और बिजली निकासी के लिए पारेषण प्रणाली का प्रावधान। उक्त पत्र में, राज्य ने भी प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की थी परियोजना के निर्धारित कार्यारंभ के लिए समय सीमा के भीतर राज्य/स्थानीय प्राधिकरणों से वैधानिक मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने में सहायता।

51. उपरोक्त पत्र के जवाब में, एचएनपीसीएल ने एक

14 जनवरी, 2013 को राज्य सरकार को पत्र भेजकर आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा परियोजना से पूरी बिजली खरीदने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की गई। 14 जनवरी, 2013 के उक्त पत्र के माध्यम से, एचएनपीसीएल ने राज्य सरकार से शुल्क निर्धारण के लिए राज्य आयोग से आवश्यक अनुमोदन लेने के लिए आवश्यक सभी सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया वास्तविक परियोजना लागत के आधार पर।

52. 16 मई, 2013 को एक और पत्र भेजा गया था।

एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा अपीलार्थियों को-डिस्कॉम्स। उक्त पत्र द्वारा, एच. एन. पी. सी. एल. ने परियोजना की लागत का अनुमान Rs.6098 करोड़ लगाया था। उक्त परियोजना लागत का निर्धारण सी. ई. आर. सी. द्वारा दिनांक 4 जून, 2012 को पारित आदेश के आधार पर किया गया था, जिसमें 2003 के अधिनियम की धारा 62 के तहत आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क के लिए ईंधन के रूप में कोयले के साथ थर्मल पावर स्टेशनों के लिए एक बेंचमार्क कैपिटल कॉस्ट (हार्ड कॉस्ट) मॉडल प्रदान किया गया था।

53. अपीलार्थी-डिस्कॉम्स दिनांक 17 तारीख के संचार के माध्यम से

मई, 2013 में दर्ज किया गया कि परियोजना [2022] 8 एस. सी. आर. की पूंजीगत लागत के दस्तावेज।

उचित स्तर पर राज्य आयोग के समक्ष प्रत्येक घटक पर परियोजना की लागत को चुनौती देने के लिए ए. पी. डी. आई. एस. सी. ओ. एम. एस. के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना प्राप्त किया गया था और यह कि पूंजीगत लागत दस्तावेज प्राप्त करने से यह नहीं बनता था कि ए. पी. डी. आई. एस. सी. ओ. एम. एस. ने उसी पर सहमति/स्वीकार किया था।

बिना किसी रोक-टोक के।

54. उसी दिन यानी 17 मई, 2013 को 15 अप्रैल, 1998 को संशोधित और पुनर्स्थापित पी. पी. ए. को जारी रखने के लिए एक एम. ओ. ए. बनाया गया।

एपीडीआईएससीओएमएस और एचएनपीसीएल के बीच निष्पादित। यह प्रासंगिक होगा दिनांक 17 मई, 2013 के उक्त एम. ओ. ए. के खंड ई और एफ का उल्लेख करें, जो इस प्रकार हैः

एच. एन. पी. सी. एल. इस बात पर सहमत होगा कि परियोजना की पूरी क्षमता

" ई.

और बिजली स्टेशन की सभी इकाइयाँ हर समय डिस्कॉम और डिस्कॉम के विशेष लाभ के लिए होंगी।

खरीदने का अनन्य अधिकार और साथ ही दायित्व भी होगा

परियोजना की पूरी क्षमता। एच. एन. पी. सी. एल. किसी तीसरे पक्ष को उपलब्ध क्षमता और/या अनुसूचित ऊर्जा की कोई पात्रता प्राप्त करने के लिए अनुदान नहीं देगा या किसी तीसरे पक्ष को अनुमति नहीं देगा। यदि डिस्कॉम एचएनपीसीएल द्वारा प्रदान की गई उपलब्ध क्षमता तक बिजली का लाभ नहीं उठाते हैं, तो डिस्कॉम एचएनपीसीएल को ऐसे अपरिहार्य के लिए क्षमता शुल्क का भुगतान करेंगे।

उपलब्ध क्षमता।

उपरोक्त के बावजूद, यदि डिस्कॉम एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा प्रदान की गई उपलब्ध क्षमता तक बिजली का लाभ नहीं उठाते हैं, तो एच. एन. पी. सी. एल. के पास ऐसी उपलब्ध क्षमता को किसी तीसरे पक्ष को बेचने का विकल्प होगा जो डिस्कॉम द्वारा प्राप्त नहीं की गई है या इसके लिए डिस्कॉम से क्षमता शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होगी।

अपरिहार्य उपलब्ध क्षमता तृतीय पक्षों को नहीं बेची गई। डिस्कॉम को क्षमता शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी

ऐसी क्षमता के लिए जिसे तीसरे पक्ष को बेचा जाता है। स्टार्ट-अप बिजली और बिजली के लिए पारेषण लाइन/प्रणाली

एफ.

परियोजना से निकासी डिस्कॉम द्वारा ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. के माध्यम से समय पर प्रदान की जाएगी ताकि इकाई 1 के सी. ओ. डी. के समय बिजली निकासी सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

डिस्कॉम ने आश्वासन दिया कि बिजली निकासी की जाएगी

बिना किसी देरी के ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ. के माध्यम से "।

55. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि 17 मई, 2013 के एम. ओ. ए. में इस बात पर सहमति बनी थी कि परियोजना की पूरी क्षमता और साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर कंपनी लिमिटेड की सभी इकाइयाँ।

OFA.P।

(एपीएसपीडीसीएल) v. एम/एस हिंदुजनल पावर कार्पोरेशन। लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

पावर स्टेशन हर समय विशेष लाभ के लिए होगा

डिस्कॉम्स और डिस्कॉम्स के पास परियोजना से पूरी क्षमता खरीदने का अनन्य अधिकार होने के साथ-साथ दायित्व भी होना था। उक्त एम. ओ. ए. के अनुसार, एच. एन. पी. सी. एल. को किसी तीसरे पक्ष को प्रदान करने या किसी तीसरे पक्ष को उपलब्ध क्षमता और/या अनुसूचित ऊर्जा के लिए कोई पात्रता प्राप्त करने की अनुमति देने से रोक दिया गया था। यह भी सहमति हुई कि यदि डिस्कॉम एचएनपीसीएल द्वारा प्रदान की गई उपलब्ध क्षमता तक बिजली का लाभ नहीं उठाते हैं, तो डिस्कॉम को एचएनपीसीएल को क्षमता शुल्क का भुगतान करना होगा।

ऐसी अनुपलब्ध उपलब्ध क्षमता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि डिस्कॉम्स एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा प्रदान की गई उपलब्ध क्षमता तक बिजली का लाभ उठाने में विफल रहता है, तो एच. एन. पी. सी. एल. के पास ऐसी उपलब्ध क्षमता, जिसका डिस्कॉम्स द्वारा लाभ नहीं उठाया गया है, किसी तीसरे पक्ष को बेचने का विकल्प उपलब्ध था। इस बात पर भी सहमति बनी कि डिस्कॉम को ऐसी क्षमता के लिए क्षमता शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है

तीसरे पक्ष को बेच दिया। उक्त एम. ओ. ए. के अनुसार, परियोजना से बिजली निकालने के लिए पारेषण लाइन/प्रणाली डिस्कॉम्स द्वारा आंध्र प्रदेश पारेषण निगम (ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ.) के माध्यम से समय पर प्रदान की जानी थी ताकि बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इकाई-1 के सीओडी के समय निकासी सुविधा। यह भी विवाद में नहीं है कि उक्त एमओए के निष्पादन के अनुसरण में, एचएनपीसीएल ने

परियोजना के लिए कोयले की आपूर्ति के लिए महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के साथ एफ. एस. ए.।

56. उक्त एम. ओ. ए. के निष्पादन के अनुसार, एक आवेदन

57. इन घटनाओं के अनुसार, पुनर्गठन अधिनियम 2 जून, 2014 को लागू हुआ, जिससे पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य को आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य में विभाजित कर दिया गया। एचएनपीसीएल का तर्क है कि पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के बाद, हालांकि तेलंगाना राज्य ने परियोजना से 54 प्रतिशत बिजली की मांग की थी, आंध्र प्रदेश सरकार ने जोर देकर कहा एचएनपीसीएल आंध्र प्रदेश राज्य को बिजली की 100% आपूर्ति करेगा।

58. यह विवाद में नहीं है कि एच. एन. पी. सी. एल. ने 28 जुलाई, 2015 को 2015 के ओ. पी. No.21 में एक परिशिष्ट आवेदन दायर किया था, जिसमें पूंजी दिखाई गई थी। परियोजना की लागत बढ़कर Rs.8087 करोड़ हो गई है।

59. जब 2015 के ओ. पी. No.21 को 26 सितंबर, 2015 को राज्य आयोग के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, तो राज्य आयोग ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

" श्री पी. शिवा राव, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान स्थायी वकील

प्रत्यर्थियों की ओर से प्रतिवाद दायर किया और आयोग के समक्ष परिशिष्ट के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा दायर आगे की सामग्री का जवाब देने के लिए और समय मांगा। उत्तरदाताओं के लिए विद्वान स्थायी वकील श्री पी. शिवा राव ने यह भी प्रतिनिधित्व किया कि वे पहले के सलाहकार को हटाने के लिए एक आवेदन दायर कर रहे हैं क्योंकि उत्तरदाताओं ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। इसलिए, प्रत्यर्थियों की आगे की प्रतिक्रिया और याचिकाकर्ता के प्रत्युत्तर के लिए

टाइल उत्तरदाताओं द्वारा दायर काउंटर और सलाहकार के प्रश्न पर आगे की सुनवाई के लिए जिसमें पहले के सलाहकार के साथ वितरण के लिए आवेदन भी शामिल है। सुबह 11 बजे 03-10-2015 पर पोस्ट किया गया। दोनों विद्वान वकीलों ने यह भी प्रतिनिधित्व किया कि कोई मुद्दा नहीं है

मामले में शामिल अधिकार क्षेत्र "।

60. यह भी विवाद में नहीं है कि बिजली परियोजना की पहली इकाई

एचएनपीसीएल (520 मेगावाट) को 11 जनवरी, 2016 को सीओडी घोषित किया गया था।

61. इसके अलावा, यह विवाद में नहीं है कि राज्य आयोग ने 1 मार्च, 2016 के एक आदेश द्वारा अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स को भुगतान करने का निर्देश दिया था

रुपये की दर से एक अंतरिम शुल्क। 31 प्रति इकाई एच. एन. पी. सी. एल. को। उक्त आदेश द्वारा, राज्य आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह का अंतरिम शुल्क 2015 की मुख्य याचिका, यानी ओ. पी. No.21 में दोनों पक्षों के अधिकारों और तर्कों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना था।

62. 28 तारीख को पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य में विभाजन के बाद,

अप्रैल, 2016 में, अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स और एचएनपीसीएल के बीच एक निरंतरता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 28 अप्रैल, 2016 के उक्त निरंतरता समझौते के पाठ के अवलोकन से पता चलता है कि पूर्ववर्ती एपीएसईबी द्वारा प्रतिनिधित्व की गई आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम में कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की थी और अशोक लेलैंड के संघ का चयन किया था लिमिटेड, भारत में निगमित एक कंपनी और मिशन एनर्जी कंपनी, एक कैलिफोर्निया, यू. एस. ए. निगम, एक थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए। 28 अप्रैल, 2016 के उक्त निरंतरता समझौते में 1992 के समझौता ज्ञापन (दिनांक 17 जुलाई, 1992), 1994 के पी. पी. ए. (दिनांक 9 दिसंबर, 1994), 1998 के संशोधित और पुनर्स्थापित पी. पी. ए. (दिनांक 15 अप्रैल, 1998), आंध्र प्रदेश राज्य और एच. एन. पी. सी. एल. के बीच पत्राचार और पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य और एच. एन. पी. सी. एल. के बीच 17 मई, 2013 के एम. ओ. ए. का भी उल्लेख है।

यह प्रासंगिक यू. टी. ई. आर. एन. पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर कंपनी लिमिटेड होगा। ए. पी. सी. एल.) वी. एम/एस हिंदुजनल पावर कार्पोरेशन। लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]आर 28 तारीख के निरंतरता समझौते के निम्नलिखित भाग के लिए

2016 :

' 3) पार्टियाँ स्वीकार करती हैं और सहमत होती हैं कि खरीददार ने

1998 के पी. पी. ए. के संबंध में हर तरह से ए. पी. एस. ई. बी. को प्रतिस्थापित किया गया और ऐसे अन्य या आगे के दस्तावेजों को निष्पादित करेगा और/या ऐसे कदम उठाएगा, जो आवश्यक और/या आकस्मिक हैं, ताकि अनुबंधों, विलेखों, समझौतों और अन्य उपकरणों के ऐसे हस्तांतरण को पूर्ण और पूर्ण प्रभाव दिया जा सके।

खरीददारों के लिए जो भी प्रकृति हो।

खरीददार एतद्द्वारा सहमत हैं कि वे संयुक्त रूप से हैं और

4)

समझौते के तहत सभी दायित्वों के लिए अलग से उत्तरदायी।

5)

इसके खंड 3 के अधीन और इसके निष्पादन के लंबित रहने तक

(क) 1998 के पी. पी. ए. में जैसा उल्लेख किया गया है, संशोधन किया जाएगा। इसके तहत और जैसा कि यहां संलग्न अनुलग्नक में संकेत दिया गया है, जो अनुलग्नक इसका एक अभिन्न अंग होगा।

निरंतरता समझौता।

(ख) 1998 का पी. पी. ए. और एम. ओ. ए. इसमें दी गई सीमा तक संशोधित या संशोधित होंगे। 1998 के पी. पी. ए. के अन्य सभी नियम और शर्तें, जिसमें पार्टियों के दायित्व शामिल हैं, जैसा कि इसके तहत कहा गया है, पार्टियों के लिए बाध्यकारी बने रहेंगे। यह निरंतरता समझौता और 1998 पी. पी. ए. मिलकर एक ही समझौते का गठन करेंगे और इस निरंतरता समझौते के प्रावधान 1998 पी. पी. ए. का एक अभिन्न हिस्सा बनेंगे। हालांकि, पूर्वगामी के बावजूद, यदि इस निरंतरता समझौते के कोई भी प्रावधान 1998 पी. पी. ए. या एम. ओ. ए. के किसी भी प्रावधान से भिन्न या विरोधाभासी हैं, तो इस निरंतरता समझौते के प्रावधान प्रबल होंगे।

63. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स ने शुरू में ही यह प्रतिनिधित्व किया था कि उन्होंने हर तरह से ए. पी. एस. ई. बी. को 1998 के पी. पी. ए. में बदल दिया था और आगे के सभी कार्यों को निष्पादित करने के लिए सहमत हुए थे।अनुबंधों, विलेखों, समझौतों आदि के ऐसे हस्तांतरण को पूर्ण और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी-डिस्कॉम्स भी स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि 1998 पी. पी. ए. (अर्थात 15 अप्रैल, 1998 का संशोधित और पुनर्स्थापित पी. पी. ए.) में 28 अप्रैल, 2016 के उक्त निरंतरता समझौते में उल्लिखित संशोधन किया जाएगा। यह विशेष रूप से कहा गया है कि निरंतरता समझौता और 1998 का पी. पी. ए. मिलकर एक ही होगा।

समझौता।

64. अपीलार्थियों-डिस्कॉम्स और एच. एन. पी. सी. एल. के बीच उक्त निरंतरता समझौते के तुरंत बाद, अपीलार्थियों -

डिस्कॉम्स ने धारा के तहत 2016 की ओ. पी. संख्या 19 के रूप में एक आवेदन दायर किया

86 (1) (ख) पी. पी. ए. के अनुमोदन के लिए 2003 के अधिनियम की धारा। उक्त आवेदन में 28 अप्रैल, 2016 के निरंतरता समझौते के निष्पादन तक ऊपर वर्णित पूरा इतिहास शामिल था। उक्त आवेदन में प्रार्थना खंड इस प्रकार हैः

" प्रार्थना करें

32. इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय आयोग प्रारंभिक निरंतरता के लिए अनुमोदन/सहमति प्रदान करे।
संशोधित के साथ पी. पी. ए. दिनांक 15.04.1998 के लिए समझौता

& एच. एन. पी. सी. एल. का पुनर्निर्धारित पी. पी. ए. दिनांक 15.04.1998 "।

65. राज्य सरकार ने 1 जून, 2016 के आदेश के माध्यम से एचएनपीसीएल से 100% बिजली की खरीद को मंजूरी दी। 3 जुलाई, 2016 को एच. एन. पी. सी. एल. की दूसरी इकाई (520 मेगावाट) को सी. ओ. डी. घोषित किया गया था। 6 अगस्त, 2016 के आदेश के माध्यम से, राज्य आयोग ने पक्षों के वकील को सुनने के बाद, अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स को रुपये की दर से अंतरिम शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया। एच. एन. पी. सी. एल. को 1 अगस्त, 2016 से प्राप्त बिजली के लिए 3.82 रुपये प्रति यूनिट। यह राज्य आयोग द्वारा पारित अगले आदेश तक संचालित होना था। 66. यह भी विवाद में नहीं है कि 2015 की ओ. पी. No.21 और 2016 की ओ. पी. No.19 दोनों याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई के बाद, राज्य ने

अंतर्वर्ती कार्यवाही, ए. पी. टी. ई. एल. ने राज्य आयोग को निर्देश दिया था 2016 की ओ. पी. संख्या 19 और 2015 की ओ. पी. <आई. डी. 1 पर शीघ्रता से और 14 अगस्त, 2017 को या उससे पहले निर्णय लेना। उक्त अवधि को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा, इस तरह के अंतिम विस्तार को 10 जनवरी, 2018 के आदेश के अनुसार 31 जनवरी, 2018 तक दिया गया था।

67. इस मोड़ पर, अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स ने दो याचिकाएं दायर कीं

4 जनवरी, 2018 को अंतर्वर्ती आवेदन।

, (i) साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर कंपनी लिमिटेड का आई. ए. नंबर 1। OFA.P।

(एपीएसपीडीसीएल) v. एम/एस हिंदुजनल पावर कार्पोरेशन। लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.] 2018 प्रारंभिक पी. पी. ए. के साथ 2016 के ओ. पी. No.19 को वापस लेने के लिए 2016 के ओ. पी. No.19 में; और (ii) 2015 के ओ. पी. No.21 के निपटान के लिए 2015 के ओ. पी. No.21 में 2018 की आई. ए. संख्या 2।

68. राज्य आयोग द्वारा 31 जनवरी, 2018 को पारित आदेश के माध्यम से, जिसे ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, राज्य ने

69. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, पीड़ित होने के कारण, एच. एन. पी. सी. एल. ने ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष 2018 की अपील दायर की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। एपीटीईएल द्वारा 26 फरवरी, 2018 को। यह भी विवाद में नहीं है कि ए. पी. टी. ई. एल. ने आई. ए. में 16 मार्च, 2018 को एक अंतरिम आदेश पारित किया।

2018 की अपील No.41 में, एक तदर्थ व्यवस्था के आधार पर, जिससे पक्षों को 31 तारीख से पहले की स्थिति को बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है।

जनवरी, 2018। यह भी विवाद में नहीं है कि ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा पारित दोनों आदेश, अर्थात 16 मार्च, 2018 का आदेश, जिसमें 31 जनवरी, 2018 से पहले की यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था और 26 तारीख का आदेश। फरवरी, 2018,2018 की अपील स्वीकार करते हुए, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 की रिट याचिका संख्या 10814 और 2018 की रिट याचिका No.13689 के माध्यम से रिट याचिकाओं के माध्यम से हमला किया गया था। हालाँकि, इन्हें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 2 मई, 2018 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

70. यह भी विवाद में नहीं है कि इस बीच, एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष 2018 की निष्पादन याचिका संख्या 3 को निष्पादन के लिए दायर किया गया था।

16 मार्च, 2018 को ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा 2018 के आई. ए. No.211 में 2018 के अपील No.41 में पारित आदेश।

71. अपीलार्थी-डिस्कॉम्स ने भी 16 मार्च, 2018 को ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा पारित अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए 2018 की सिविल अपील के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हालाँकि, इस न्यायालय ने उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और ए. पी. टी. ई. एल. को विवादित आदेश में की गई टिप्पणी को निर्णायक माने बिना उसके समक्ष लंबित अपील पर शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश दिया।

72. 7 जनवरी, 2020 के विवादित फैसले और आदेश के अनुसार, एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा दायर 2018 की अपील No.41 को मंजूरी दी गई है। ए. पी. टी. ई. एल., जिसकी शुद्धता को वर्तमान कार्यवाही में चुनौती दी गई है।

संयंत्र और समझौता ज्ञापन में आंध्र प्रदेश सरकार को विनियमित शुल्क पर 25 प्रतिशत बिजली खरीदने से इनकार करने का पहला अधिकार देने का प्रस्ताव रखा था, यह आंध्र प्रदेश राज्य के कहने पर था कि वह एपीडीआईएससीओएमएस के माध्यम से राज्य को बिजली की आपूर्ति करने के लिए सहमत हुआ था। रिकॉर्ड से यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि हालांकि एचएनपीसीएल ने एपीसीपीडीसीएल द्वारा आयोजित बोली प्रक्रिया में भाग लिया था। वर्ष 2011-2012 और यद्यपि एच. एन. पी. सी. एल. उक्त बोली प्रक्रिया में एल-2 बोलीदाता के रूप में सफलतापूर्वक उभरा था, यह बोली मूल्यांकन समिति के निर्णय के कारण था कि एच. एन. पी. सी. एल. को बोली प्रक्रिया से हटा दिया गया था क्योंकि एच. एन. पी. सी. एल. की पूरी उत्पादन क्षमता आंध्र प्रदेश राज्य/ए. पी. डी. आई. एस. सी. ओ. एम. एस. पर निर्भर थी। बोली मूल्यांकन समिति की 28 सितंबर, 2012 की बैठक के कार्यवृत्त, जैसा कि 13 अगस्त, 2013 के राज्य आयोग के आदेश में देखा गया है, इस स्थिति को स्पष्ट करते हैं।

74. यह आंध्र प्रदेश राज्य है, जिसने एचएनपीसीएल से 100% बिजली खरीदने में अपनी रुचि व्यक्त की थी, जैसा कि देखा जा सकता है। अभिलेख पर रखे गए विभिन्न दस्तावेजों से। आंध्र सरकार के प्रधान सचिव द्वारा संबोधित पत्र

प्रदेश ऊर्जा विभाग ने 26 दिसंबर, 2012 को एच. एन. पी. सी. एल. को स्पष्ट रूप से एच. एन. पी. सी. एल. की परियोजना से बिजली (डिस्कॉम्स के माध्यम से) खरीदने में आंध्र प्रदेश सरकार के इरादे को दोहराया है। उक्त संचार से यह भी पता चलेगा कि राज्य ने परियोजना को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है, जिसमें पी. पी. ए. का निष्पादन और इसके लिए प्रावधान करना शामिल है -

स्टार्ट-अप बिजली और बिजली निकासी के लिए संचरण प्रणाली। उक्त संचार से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि पक्ष 15 अप्रैल, 1998 के संशोधित और पुनर्निर्धारित पी. पी. ए. में उल्लिखित शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हुए थे, सिवाय इसके कि वे 1998 के बाद ऐसी बिजली परियोजनाओं को निर्देशित करने वाले कानूनों/नियमों और विनियमित मानकों में परिवर्तन के प्रभाव के कारण संशोधित हो सकते हैं।

75. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों से पता चलता है कि हालांकि एच. एन. पी. सी. एल. ने इस आधार पर परियोजना लागत का अपना अनुमान दिया था सी. ई. आर. सी. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में से, राज्य आयोग के समक्ष प्रत्येक घटक पर इसका विरोध करने के अपने अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना अपीलार्थियों-डिस्कॉम्स द्वारा प्राप्त किया गया था। दस्तावेज़

अभिलेख पर रखे जाने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश राज्य दक्षिण विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड।

OFA.P।

(एपीएसपीडीसीएल) v. एम/एस हिंदुजनल पावर कार्पोरेशन। लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.] इसने, एक से अधिक अवसरों पर, व्यक्त किया है कि वह एचएनपीसीएल की परियोजना से 100% बिजली खरीदने में रुचि रखता है। एम. ओ. ए. पर हस्ताक्षर किए गए

अपीलकर्ता-डिस्कॉम्स और एच. एन. पी. सी. एल. दिनांक 17 मई, 2013, स्पष्ट रूप से दिखाएंगे कि दोनों पक्षों के बीच यह सहमति थी कि

एच. एन. पी. सी. एल. परियोजना और बिजली स्टेशनों की सभी इकाइयों की क्षमता, हर समय, डिस्कॉम के विशेष लाभ के लिए होगी और डिस्कॉम को विशेष अधिकार के साथ-साथ

परियोजना से पूरी क्षमता खरीदें। इतना ही नहीं, बल्कि पुनर्गठन अधिनियम के लागू होने और पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य को आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य में विभाजित किए जाने के बाद, आंध्र प्रदेश राज्य ने एक से अधिक अवसरों पर एचएनपीसीएल की परियोजना से बिजली की खरीद के अपने रुख को दोहराया। 26 सितंबर को राज्य आयोग के आदेशों का अवलोकन, 2015 और 6 अगस्त, 2016 से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलकर्ता डिस्कॉम्स भी इस स्थिति पर कायम थे कि एचएनपीसीएल के बिजली संयंत्र में उत्पन्न बिजली उनके द्वारा खरीदी जानी थी। इतना ही नहीं, बल्कि पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के बाद, अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स ने अपने रुख को दोहराते हुए 28 अप्रैल, 2016 को एक निरंतरता समझौता किया।

76. 28 अप्रैल, 2016 को निरंतरता समझौता किए जाने के बाद, अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स ने 2016 के लिए ओ. पी. No.19 दायर किया।

77. यह भी विवाद में नहीं है कि 17 मई, 2013 को निष्पादित एम. ओ. ए. के अनुसरण में, एच. एन. पी. सी. एल. ने परियोजना के लिए कोयले की आपूर्ति के लिए महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के साथ 26 अगस्त, 2013 को एफ. एस. ए. भी किया था। 78. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्ष 2012 से अपीलार्थियों-डिस्कॉम्स का सुसंगत रुख पहली बार 4 जनवरी, 2018 को बदल गया, जब उन्होंने राज्य के समक्ष अंतर्वर्ती आवेदन दायर किए।

2016 के ओ. पी. No.19 को वापस लेने और 2015 के ओ. पी. No.21 के निपटान के लिए आयोग।

79. जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, खुली बोली प्रक्रिया में,

वर्ष 2011-2012 में आयोजित, एचएनपीसीएल सफल [2022] 8 एस. सी. आर. के रूप में उभरा।

एल-2 बोलीदाता। हालाँकि बोली मूल्यांकन समिति द्वारा लिए गए रुख के कारण इसे बोली प्रक्रिया से हटा दिया गया था।

इस प्रकार, अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स का यह रुख कि एच. एन. पी. सी. एल. की परियोजना का पुनरुद्धार एक वाणिज्यिक बिजली संयंत्र के रूप में किया गया था और इसलिए, अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स को इससे बिजली खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, स्वयं विरोधाभासी है। एक ओर, एच. एन. पी. सी. एल. को खुली बोली प्रक्रिया से हटा दिया गया था, हालांकि यह सफल एल-2 बोलीदाता था।

इस आधार पर कि एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा उत्पन्न बिजली आंध्र प्रदेश/ए. पी. डी. आई. एस. सी. ओ. एम. एस. से जुड़ी हुई है, जबकि दूसरी ओर, अब यह आग्रह किया जाता है कि अपीलकर्ताओं-डी. आई. एस. सी. ओ. एम. एस. को एच. एन. पी. सी. एल. से बिजली खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक व्यापारिक बिजली संयंत्र था। हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि ए. पी. टी. ई. एल. ने ठीक ही कहा है कि आंध्र प्रदेश राज्य/ए. पी. डी. आई. एस. सी. ओ. एम. एस. द्वारा दिए गए आश्वासन के कारण, एच. एन. पी. सी. एल. ने अपनी स्थिति बदल दी थी और इस तरह, अपीलकर्ताओं-डी. आई. एस. सी. ओ. एम. एस. के लिए 2016 का ओ. पी. No.19 वापस लेने की अनुमति नहीं थी। 2016 के ओ. पी. No.19 में 2018 के आई. ए. संख्या 1 और 2015 के ओ. पी. No.21 में 2018 के आई. ए. संख्या 2 में जिन आधारों का आग्रह किया गया है, वे तब बहुत अधिक उपलब्ध थे जब अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स ने 17 मई, 2013 को एम. ओ. ए. और 28 अप्रैल, 2016 को निरंतरता समझौते में प्रवेश किया था। यह समझना मुश्किल है कि अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स के लिए पी. पी. ए. की मंजूरी के लिए आवेदन को इस आधार पर वापस लेने की अनुमति कैसे है कि वे केवल बिजली की खरीद कर सकते हैं।

प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से, जब वर्तमान मामले के तथ्यों में, यह आंध्र प्रदेश राज्य था, जिसने एचएनपीसीएल को 2011-2012 की खुली बोली प्रक्रिया से खारिज कर दिया था, हालांकि यह उक्त बोली प्रक्रिया में एल-2 बोलीदाता के रूप में सफलतापूर्वक उभरा था।

80. इस प्रस्ताव के समर्थन में बार में विभिन्न अधिकारियों का हवाला दिया गया है कि आवेदन को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जब इस तरह की वापसी एक अनुबंध की हताशा के बराबर होती है और इस तरह प्रतिवादी के अधिकारों को पराजित करती है और यह कि वापस लेने का अधिकार पूर्ण नहीं है। इस संबंध में, हम अर्जुन सिंह बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख करेंगे। मोहिंद्र कुमार & Ors.[1]। यद्यपि उक्त मामले में शामिल मुद्दा वर्तमान मामले में शामिल मुद्दे से अलग है, हम पाते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सी. पी. सी.) के आदेश IX और आदेश XX के प्रावधानों का अर्थ लगाते हुए इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से मार्गदर्शन लेना उचित होगा।

प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

15 3 (1964) 5 एससीआर 946 साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर कंपनी लिमिटेड। OFA.P।

(एपीएसपीडीसीएल) v. एम/एस हिंदुजनल पावर कार्पोरेशन। लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

" ..... वर्तमान संदर्भ में जब एक बार सुनवाई शुरू होती है,

संहिता मुकदमे के मुकदमे में केवल दो चरणों पर विचार करती हैः (1)

जहाँ सुनवाई स्थगित की जाती है या (2) जहाँ सुनवाई होती है।

पूरा किया। जहाँ, सुनवाई पूरी हो जाती है, पक्षकारों के पास है मामले में कोई और अधिकार या विशेषाधिकार नहीं हैं और यह केवल इसके लिए है

न्यायालय की सुविधा जो आदेश XX। नियम 1 अनुमतियाँ

सुनवाई के बाद अंतराल के बाद दिया जाने वाला निर्णय है

पूरा किया। इसलिए यह होगा कि मंच के बाद

आदेश IX द्वारा विचार किया गया। नियम 7 पारित किया जाता है अगला चरण है

केवल एक डिक्री का पारित होना जो आदेश IX की शर्तों पर हो।

नियम 6 न्यायालय पारित करने के लिए सक्षम है। और फिर आगे बढ़ते हैं

आवेदन द्वारा उस डिक्री को अलग रखने के लिए पक्ष का उपाय

आदेश IX के तहत। नियम 13. इस प्रकार के बीच कोई अंतराल नहीं है

निर्णय के आरक्षण और उच्चारण के दो चरण

निर्णय ताकि न्यायालय के लिए यह आवश्यक हो कि वह

पक्ष को आदेश प्राप्त करने का उपाय

आदेश IX। नियम 7. इसलिए, हमारी राय है कि सिविल

न्यायाधीश मई के आवेदन पर विचार करने के लिए सक्षम नहीं था

31 , 1958 आदेश IX के तहत होने का तात्पर्य है। नियम 7 और वह

फलस्वरूप पारित आदेश में दिए गए कारण नहीं होंगे -

आदेश IX को रद्द करने की याचिका की सुनवाई पर रोक लगाने के लिए न्यायपालिका। नियम

13 अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया "।

[जोर दिया गया]

81. यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने माना है कि सी. पी. सी. विचार करता है

मुकदमे में मुकदमे के दो चरणः (1) जहाँ सुनवाई स्थगित की जाती है; और (2) जहाँ सुनवाई पूरी हो जाती है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां सुनवाई पूरी हो जाती है, पक्षकारों को मामले में आगे कोई अधिकार या विशेषाधिकार नहीं होते हैं और यह केवल न्यायालय की सुविधा के लिए है कि आदेश XX नियम 1 सुनवाई पूरी होने के बाद एक अंतराल के बाद निर्णय देने की अनुमति देता है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निर्णय के आरक्षण और निर्णय की घोषणा के दो चरणों के बीच कोई अंतराल नहीं है ताकि न्यायालय के लिए आदेश IX नियम 7 की तर्ज पर पक्ष को आदेश पारित कराने का उपाय करना आवश्यक हो।

82. विभिन्न उच्च न्यायालयों के अन्य निर्णयों पर निर्भर थे -

श्री रामचंद्रन, अर्जुन में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित रेखा का पालन करें।

सिंह (ऊपर)।

83. जहाँ तक श्री वैद्यनाथन द्वारा रखी गई निर्भरता की बात है,

वरिष्ठ वकील, बोएल [2022] 8 एस. सी. आर. के मामले में अपील न्यायालय के फैसले पर।

क्के व्हार्फिंगर्स लिमिटेड (उपरोक्त) का संबंध है, उक्त मामला अपीलार्थी द्वारा लाइसेंस देने के लिए लाइसेंस प्राधिकरण को किए गए एक आवेदन से उत्पन्न हुआ। यह एक अर्ध-न्यायिक कार्यवाही में एक आवेदन नहीं था जहां एक आवेदन को वापस लेने से दूसरे पक्ष के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उक्त मामले में, यह देखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति लाइसेंस के लिए आवेदन करता है, तो इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि वह अपना आवेदन वापस लेने का हकदार क्यों नहीं है, जब तक कि, निश्चित रूप से, कुछ प्रावधान नहीं हैं।

कानून में प्रावधान, जो उसे ऐसा करने से रोकेगा। उपरोक्त मामले में कार्यवाही दोनों पक्षों के बीच एक समझौते से उत्पन्न नहीं हुई थी, बल्कि डॉक्स एंड हार्बर्स एक्ट, 1966 के तहत एक पक्ष द्वारा लाइसेंस प्राधिकरण को दिए गए आवेदन से उत्पन्न हुई थी।

84. जहाँ तक हुलास राय बैज नाथ (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर दी गई निर्भरता का संबंध है, प्रतिवादी

इसमें अपीलार्थी के खिलाफ खातों को प्रस्तुत करने के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था

फर्म, यह आरोप लगाते हुए कि अपीलकर्ता-फर्म प्रतिवादी का कमीशन एजेंट था और प्रधान के रूप में प्रतिवादी के बीच खाते

और एजेंट के रूप में अपीलार्थी का निपटारा नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी के दावे का अपीलार्थी द्वारा विरोध किया गया था, जिसमें कहा गया था कि प्रत्यर्थी का दावा पूरी तरह से निपट गया था और मुकदमा कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त नहीं था। उक्त वाद में, काफी मात्रा में साक्ष्य दर्ज किए जाने के बाद, प्रतिवादी-वादी की ओर से वाद को वापस लेने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसका भी विरोध किया गया। निचली अदालत ने अपीलकर्ता-प्रतिवादी की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि वादी को मुकदमा वापस लेने का अधिकार है और उस अधिकार का प्रयोग निर्णय से पहले किसी भी समय किया जा सकता है। प्रतिवादी केवल अपने पक्ष में लागत के लिए आदेश का दावा कर सकता था। इसलिए अपीलार्थी-प्रतिवादी को मुकदमे की लागत प्रदान करते हुए मुकदमे को खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी-प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण दायर किया। उच्च न्यायालय ने संशोधन को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर, अपीलार्थी-प्रतिवादी ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 2. संक्षिप्त प्रश्न जो इन परिस्थितियों में निर्णय के लिए आता है, वह यह है कि क्या प्रत्यर्थी मुकदमे से पीछे हटने का हकदार था और क्या इसे 5 मई, 1953 के आवेदन द्वारा उस स्तर पर खारिज कर दिया गया था जब मुद्दे तैयार किए गए थे और कुछ सबूत दर्ज किए गए थे, लेकिन प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रारंभिक डिक्री नहीं थी।

खातों को अभी तक पारित नहीं किया गया था। आदेश 23 नियम 1 उप-नियम (1) सी. पी. सी. की भाषा, वादी को साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर कंपनी लिमिटेड को एक अयोग्य अधिकार देती है।

OFA.P।

(एपीएसपीडीसीएल) v. एम/एस हिंदुजनल पावर कार्पोरेशन। लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

ऐसी परिस्थितियों में मुकदमा वापस लेने और मजबूर करने के लिए वादी इसके साथ आगे बढ़े। बेशक, यह संभव है कि अलग-अलग विचार उत्पन्न हो सकते हैं जहां आदेश 8 सी. पी. सी. के तहत एक सेट-ऑफ का दावा किया गया हो, या एक जवाबी दावा दायर किया गया हो सकता है, यदि वाद को नियंत्रित करने वाली कार्यवाही पर लागू प्रक्रियात्मक कानून द्वारा अनुमत हो। वर्तमान मामले में, ऊपर उल्लिखित लिखित कथन के पैरा 8 और 11 में दलीलें स्पष्ट रूप से खारिज करने के दावे के बराबर नहीं थीं। इसके अलावा, कोई जवाबी दावा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिखाया गया है जिसके तहत ऐसे मुकदमे में निचली अदालत में जवाबी दावा दायर किया जा सकता था। ऐसी भी परिस्थिति है कि निकासी के लिए आवेदन एक ऐसे स्तर पर दायर किया गया था जब लेखा प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रारंभिक डिक्री पारित नहीं की गई थी और वास्तव में, अपीलार्थी अभी भी तर्क दे रहा था

कि मुकदमे में खातों का प्रत्यर्पण नहीं हो सकता था, क्योंकि खातों का निपटान पहले ही किया जा चुका था। यहां तक कि पैरा 11 में भी एकमात्र दावा किया गया था कि, यदि न्यायालय को यह आवश्यक लगता है कि -

खातों का प्रत्यक्ष प्रत्यर्पण और कोई भी राशि अपीलार्थी को देय पाई जाती है, उस राशि के लिए अपीलार्थी के पक्ष में एक डिक्री पारित की जा सकती है। इस पैराग्राफ में भी, अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया अधिकार एक आकस्मिक अधिकार था जो उस समय मौजूद नहीं था जब लिखित बयान दाखिल किया गया था।

85. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि उपरोक्त मामले के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से पूरी तरह से अलग हैं। इस न्यायालय में

उपरोक्त मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि सी. पी. सी. में कोई प्रावधान नहीं है, जिसके लिए न्यायालय को मुकदमे को वापस लेने की अनुमति से इनकार करने और वादी को इसके साथ आगे बढ़ने के लिए मजबूर करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, इस न्यायालय ने स्वयं स्पष्ट किया है कि अलग-अलग विचार उत्पन्न हो सकते हैं जहां सी. पी. सी. के आदेश VIII के तहत एक रोक का दावा किया गया हो, या एक जवाबी दावा दायर किया गया हो सकता है, यदि मुकदमे को नियंत्रित करने वाली कार्यवाही पर लागू प्रक्रियात्मक कानून द्वारा अनुमत हो। यह पाया गया कि लिखित बयान में की गई दलीलों से यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इस्तीफे का कोई दावा नहीं है। आगे यह पाया गया कि कोई प्रतिदावा नहीं हो सकता था, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिखाया गया था जिसके तहत ऐसे [2022] 8 एस. सी. आर. में निचली अदालत में प्रतिदावा दायर किया जा सकता था।

सूट। यह आगे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया अधिकार एक आकस्मिक अधिकार था और उस समय मौजूद नहीं था जब लिखित बयान दायर किया गया था।

86. वर्तमान मामले में तथ्य पूरी तरह से अलग हैं, जिसमें विभिन्न समझौतों के निष्पादन के बाद एक आवेदन ओ. पी. No.19 है।

पी. पी. ए. के अनुमोदन के लिए 2016 का आवेदन दायर किया गया। इतना ही नहीं, बल्कि 2016 के उक्त ओ. पी. संख्या 19 को 2015 के ओ. पी. No.21 के साथ जोड़ा गया था, जिसे परियोजना की पूंजीगत लागत के निर्धारण के साथ-साथ शुल्क के निर्धारण के लिए दायर किया गया था। यह आगे देखा जा सकता है कि उपरोक्त मामले में, मुकदमे को वापस लेने के लिए एक आवेदन साक्ष्य देने के चरण में दायर किया गया था। ऐसा नहीं है कि मुकदमा फैसले के लिए बंद होने के बाद आवेदन दायर किया गया था।

87. किसी भी मामले में, हमारा विचार है कि आचरण

अपीलार्थियों में से-डिस्कॉम्स, वर्तमान मामले में, उन्हें आवेदन वापस लेने के लिए अयोग्य ठहराएगा।

88. एक अन्य तर्क, कि परियोजना की पूंजीगत लागत में वृद्धि के कारण, अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स की आवश्यकता होगी

बहुत अधिक दर पर बिजली खरीदते हैं, इसमें पानी भी नहीं रहता है। द. राज्य आयोग शुल्क का निर्धारण करते समय विभिन्न कारकों द्वारा निर्देशित होगा जिन्हें 2003 के अधिनियम की धारा 61 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। किसी भी मामले में, अपीलार्थी

डिस्कॉम्स ने स्वयं चुनाव लड़ने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है

राज्य आयोग के समक्ष उचित स्तर पर प्रत्येक घटक पर लागत की शुद्धता। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, राज्य आयोग को परियोजना की लागत को मंजूरी देते हुए और उस शुल्क का निर्धारण करते हुए, जिस पर एच. एन. पी. सी. एल. से ए. पी. डी. आई. एस. सी. ओ. एम. एस. द्वारा बिजली खरीदी जाएगी, विभिन्न कारकों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, जो निम्नलिखित हैं - 2003 के अधिनियम की धारा 61 में कहा गया है, इसलिए उस उद्देश्य के लिए अधिसूचित विनियमों के तहत भी। ऐसा करते समय, राज्य आयोग को अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स और एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा किए जाने वाले विभिन्न पहलुओं के साथ-साथ प्रस्तुतियों पर भी विचार करना होगा। केवल इसलिए कि परियोजना की लागत का अनुमान एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा एक

विशेष राशि, राज्य आयोग इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य आयोग केवल लागत को मंजूरी देगा जैसा वह महसूस करेगा।

अधिनियम की धारा 61 के तहत प्रावधानों द्वारा निर्देशित

2003 और नियम। मामले के उस दृष्टिकोण में, इस संबंध में तर्क भी आधारहीन है।

(एपीएसपीडीसीएल) v. एम/एस हिंदुजनल पावर कार्पोरेशन। लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.] 89. अपीलार्थी-डिस्कॉम्स ने टाटा पावर कंपनी लिमिटेड बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया है। रिलायंस

एनर्जी लिमिटेड और अन्य, और विशेष रूप से, इसके पैराग्राफ 106 पर, जो इस प्रकार हैः

" 106. अधिनियम की योजना, अर्थात् बिजली उत्पादन, लाइसेंस के दायरे से बाहर है और अधिनियम की धारा 42 के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन एक उत्पादन कंपनी भी सीधे उपभोक्ता को आपूर्ति कर सकती है, जिसके लिए कोई लाइसेंस नहीं है।

आवश्यक होगा, उचित विचार किया जाना चाहिए। उक्त प्रावधान को विनियमन 24 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। पी. पी. ए. के अनुमोदन के संबंध में विनियमन 24 में निर्धारित प्रक्रियाएं हैंः

पालन करने की आवश्यकता है "।

90. इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एक उत्पादक कंपनी भी सीधे उपभोक्ता को आपूर्ति कर सकती है जिसके लिए कोई लाइसेंस नहीं होगा।

तथापि, इस न्यायालय ने स्वयं यह मत व्यक्त किया कि उक्त प्रावधान को विनियमन 24 के साथ पढ़ा जाना चाहिए और पी. पी. ए. के अनुमोदन के संबंध में, विनियमन 24 में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है।

91. उक्त अनुच्छेद 119 का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा।

निर्णय।

" 119. 2003 का अधिनियम उत्पादन कंपनी को आपूर्ति करने की भी अनुमति देता है।

सीधे उपभोक्ता को बिजली। उक्त उद्देश्य के लिए अधिनियम, नियमों के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। और
नियम। अधिनियम की धारा 14 स्पष्ट रूप से किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस देने का प्रावधान करती है जो बिजली संचारित कर रहा है या आपूर्ति वितरित कर रहा है या उसमें व्यापार कर रहा है, निर्विवाद रूप से, हालांकि, एक विद्युत ऊर्जा का जनरेटर, हालांकि लाइसेंस के अनुदान के अधीन नहीं है, लेकिन एक वितरण एजेंसी को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करते समय, बदले में आयोग की मंजूरी और निर्देशों के अधीन होगा।

92. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि हालांकि 2003 का अधिनियम उत्पादन करने वाली कंपनी को बिजली की आपूर्ति करने की अनुमति देता है।

एक उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से, और यह कि विद्युत ऊर्जा का जनरेटर लाइसेंस के अनुदान के अधीन नहीं है, लेकिन एक वितरण एजेंसी को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करते समय, बदले में, यह अनुमोदन और निर्देशों के अधीन होगा।

93. इसलिए, हमारा विचार है कि उक्त निर्णय अपीलार्थियों द्वारा आगे बढ़ाने के लिए मांगे गए मामले के लिए कोई सहायता नहीं है।

डिस्कॉम्स। इसके विपरीत, हम पाते हैं कि हमारे द्वारा लिया जा रहा दृष्टिकोण टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों से मजबूत होता है:

मन में रुचि। इसके पास एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी देने की शक्ति है जो जनहित को कम करता है। यह, इस तरह की मंजूरी देते समय इस सवाल पर भी विचार कर सकता है कि क्या शर्तों पर सहमति होनी चाहिए। वे
निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हैं।

*** *** ***

111. धारा 86 (1) (बी) बिजली खरीद और वितरण लाइसेंसधारियों की खरीद प्रक्रिया के विनियमन का प्रावधान करती है। के संबंध में
उत्पादन का कार्य उत्पादन के लिए शुल्क निर्धारित करना है और साथ ही बिजली की आपूर्ति, संचरण और पहियों के संबंध में भी। धारा 86 की उप-धारा (1) के खंड (बी) में विनियमन का प्रावधान है

बिजली खरीद और वितरण की खरीद प्रक्रिया

उस कीमत सहित जिस पर बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों या लाइसेंसधारियों या अन्य लोगों से खरीदी जाएगी

समझौतों के माध्यम से स्रोत। विनियमन के एक भाग के रूप में यह कार्यान्वयन, आवेदन या उत्पादन के संबंध में लाइसेंसधारियों और उत्पादक कंपनियों के बीच विवादों पर भी निर्णय ले सकता है। उक्त समझौते के प्रावधानों की व्याख्या।

94. इस प्रकार यह तुच्छ है कि, अनुमोदन के अनुदान पर विचार करते हुए

पी. पी. ए., राज्य आयोग को जनहित को ध्यान में रखना होगा। इसे इस बात पर विचार करना होगा कि क्या पी. पी. ए., जिसके अधीन है अनुमोदन, उप-लोक हित की सेवा करता है। अनुमोदन देते समय इस बात पर भी विचार करना आवश्यक होगा कि क्या सहमत शर्तें उचित और उचित हैं। 2003 के अधिनियम की धारा 86 (1) (बी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय, आयोग को उस मूल्य को विनियमित करना होगा जिस पर बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों से खरीदी जाएगी।

निस्संदेह, ऐसा करते समय आयोग 2003 के अधिनियम की धारा 61 और विनियमों में उल्लिखित कारकों द्वारा निर्देशित होगा।

उसी के बारे में। 2003 के अधिनियम की धारा 86 (1) (च) के तहत, आयोग को लाइसेंसधारियों और उत्पादन करने वाली कंपनियों के बीच विवादों पर निर्णय लेने और ऐसे किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का भी अधिकार है।

95. धारा 21 के आधार पर किया गया एक और तर्क

सुधार अधिनियम भी मान्य नहीं है। उक्त अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (5) पर बहुत अधिक निर्भरता रखी गई है, जो इस प्रकार हैः

" (5) प्रकृति के किसी भी लेनदेन से संबंधित कोई भी समझौता

उप-धारा (1), (2), (3) या (4) में वर्णित है जब तक कि

उपरोक्त सहमति के अधीन, अमान्य होगा।

96. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इसमें उल्लिखित किसी भी समझौते में

धारा 21 की उप-धाराएँ (1), (2), (3) या (4) तब तक अमान्य होंगी जब तक कि वे आयोग की सहमति से या ऐसी सहमति के अधीन नहीं की जाती हैं। निर्विवाद रूप से, इस कानूनी स्थिति को समझते हुए, 2016 का ओ. पी. संख्या 19 अपीलार्थियों द्वारा दायर किया गया-डिस्कॉम्स, ताकि उनके द्वारा एच. एन. पी. सी. एल. के साथ किए गए पी. पी. ए. के लिए राज्य आयोग से अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।

97. जहाँ तक प्रशुल्क विनियमों के विनियम 5 के प्रावधान पर निर्भरता का संबंध है, वही प्रशुल्क के निर्धारण के दृष्टिकोण से संबंधित है। यह देखा जा सकता है कि, जबकि टैरिफ विनियमों के विनियम 5.1 में यह प्रावधान है कि जहां दिशानिर्देशों के अनुसार बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से टैरिफ निर्धारित किया गया है केंद्र सरकार द्वारा जारी, आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस तरह के शुल्क को अपनाएगा; शुल्क विनियमों के विनियम 5 में प्रावधान है कि उक्त विनियमन के भाग-2 में निर्दिष्ट प्रावधान वितरण लाइसेंसधारी को आपूर्ति के लिए पूंजीगत लागत के आधार पर शुल्क निर्धारित करने में लागू होंगे। शुल्क विनियमों का भाग-II 'विवरण दाखिल करने' और 'शुल्क निर्धारण' से संबंधित है। विनियम 9 में यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक आवेदन जिसमें पूंजीगत लागत के आधार पर शुल्क निर्धारित किया जाना है, उसमें विभिन्न विवरणों के साथ-साथ सहायक डेटा और दस्तावेजी और निश्चित लागत, परिवर्तनीय के संबंध में अन्य साक्ष्य शामिल होंगे।

संचालन की लागत और मानक आदि। टैरिफ विनियमों के विनियम 10 में समय-समय पर संशोधित सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम, 2004 में निर्दिष्ट सिद्धांतों और कार्यप्रणाली द्वारा निर्देशित उक्त विनियमों के तहत निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार टैरिफ निर्धारित करने की आवश्यकता है। विनियमों में विस्तृत दिशा-निर्देश हैं, कि शुल्क का घटक क्या होगा और पूंजी लागत और शुल्क कैसे निर्धारित किया जाना है।

98. हम पाते हैं कि एक पक्ष के कहने पर ऐसा तर्क, जिसने बोली प्रक्रिया से एचएनपीसीएल को खारिज कर दिया है, हालांकि यह सामने आया था

सफल एल-2 बोलीदाता के रूप में, पानी नहीं रखता है और हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अपीलकर्ता-डिस्कॉम्स का दृष्टिकोण अनुमोदन और खंडन का है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

99. किसी भी स्थिति में, हम पाते हैं कि राज्य आयोग ने पूरी तरह से

एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा दायर 2015 के ओ. पी. No.21 को खारिज करने में त्रुटि। 2003 के अधिनियम की धारा 64 के अवलोकन से पता चलेगा कि एक उत्पादक कंपनी भी 2003 के अधिनियम की धारा 62 के तहत शुल्क के निर्धारण के लिए आवेदन करने की हकदार है। इस प्रकार, सवाल चाहे जो भी हो, कि क्या 2016 के ओ. पी. No.19 को वापस लेने के लिए आवेदन दायर किया गया है।

अपीलार्थियों द्वारा-डिस्कॉम्स पर विचार किया जा सकता था, एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा दायर 2015 के ओ. पी. No.21 को खारिज करने में राज्य आयोग पूरी तरह से अन्यायपूर्ण था। किसी भी मामले में, हमने यह माना है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में और विशेष रूप से, के आचरण को ध्यान में रखते हुए

अपीलार्थी-डिस्कॉम्स, ए. पी. टी. ई. एल. ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी-डिस्कॉम्स को 2016 का ओ. पी. No.19 वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी।

100. निर्विवाद रूप से, अपीलार्थी-डिस्कॉम साधन हैं

राज्य का और इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर एक राज्य। राज्य के प्रत्येक कार्य को गैर-मनमानेपन, तर्कसंगतता और तर्कसंगतता के स्पर्श-पत्थर द्वारा निर्देशित किया जाना आवश्यक है। राज्य के प्रत्येक कार्य को समान रूप से जनहित द्वारा निर्देशित किया जाना आवश्यक है। सार्वजनिक पद का प्रत्येक धारक एक न्यासी होता है, जिसका सर्वोच्च कर्तव्य

लोग।

देश से। इसलिए सार्वजनिक प्राधिकरण को केवल सार्वजनिक भलाई के लिए शक्तियों का प्रयोग करने की आवश्यकता है।

101. हम लाभप्रद रूप से निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं

कुमारी श्रीलेखा विद्यार्थी और अन्य के मामले में न्यायालय बनाम। यू. पी. और अन्य राज्यः

" 27. एक निजी पक्ष के विपरीत जिसका कार्य कारण से अनजान है और

संविदात्मक मामलों में व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से प्रभावित हो सकता है बिना प्रभावित किए अकेले इसके प्रतिकूल परिणाम होते हैं

लोक हित, राज्य या किसी सार्वजनिक निकाय का ऐसा कोई कार्य, जिसमें यह क्षेत्र जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। प्रत्येक धारक

एक सार्वजनिक पद जिसके आधार पर वह राज्य की ओर से कार्य करता है

या सार्वजनिक निकाय अंततः उन लोगों के प्रति जवाबदेह होता है जिनमें संप्रभुता निहित। इस प्रकार, उस में निहित सभी शक्तियों का अर्थ है

लोक कल्याण और लोक हित को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग किया जाना

यह अनुबंध के क्षेत्र में भी सभी कार्यों के लिए समान रूप से सच है।

इस प्रकार, सार्वजनिक पद का प्रत्येक धारक एक ट्रस्टी होता है जिसका सर्वोच्च पद होता है।

कर्तव्य देश के लोगों के लिए है और इसलिए, प्रत्येक कार्य

17 1 7 (1991) 1 एस. सी. सी. 212 बाहरी बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड। OFA.P।पीडीसीएल) v. एम/एस हिंदुजनल पावर कार्पोरेशन। लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

अनुच्छेद 14 की कसौटी। 28. यह मानते हुए भी कि अनुच्छेद 14 को आकर्षित करने और न्यायिक समीक्षा की अनुमति देने के लिए राज्य की कार्रवाई में कुछ सार्वजनिक तत्व की उपस्थिति की अवधारणा को आयात करना आवश्यक है, हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि राज्य या सार्वजनिक निकाय के सभी कार्यों का अंतिम प्रभाव निस्संदेह लोक हित पर है, इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सार्वजनिक तत्व संविदात्मक मामलों में भी मौजूद है। इसलिए, हमें अनुबंध किए जाने के बाद संविदात्मक मामलों में राज्य की कार्रवाइयों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर करना मुश्किल और अवास्तविक लगता है, ताकि इसकी वैधता का परीक्षण किया जा सके।

अनुच्छेद 14 "।

102. भारतीय खाद्य निगम बनाम के मामले में न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों को संदर्भित करना भी उचित होगा। मेसर्स कामधेनू ई फ़ीड इंडस्ट्रीज 1 8:

" 7. संविदात्मक क्षेत्र में अन्य सभी राज्य कार्यों की तरह, राज्य और उसके सभी उपकरणों को संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होना चाहिए। जिसका संविधान गैर-मनमानी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सार्वजनिक कानून में कोई निरंकुश विवेकाधिकार नहीं हैः एक सार्वजनिक प्राधिकरण

उनके पास केवल सार्वजनिक भलाई के लिए उनका उपयोग करने की शक्तियाँ हैं। यह लागू होता है

निष्पक्ष रूप से कार्य करने और एक ऐसी प्रक्रिया को अपनाने का कर्तव्य जो 'कार्रवाई में निष्पक्षता' है। अच्छे के एक हिस्से के रूप में इस दायित्व का उचित पालन

प्रशासन प्रत्येक मामले में एक उचित या वैध अपेक्षा रखता है।

राज्य और उसके उपकरणों के साथ बातचीत में नागरिक के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाना चाहिए, यह तत्व राज्य के सभी कार्यों में निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक आवश्यक घटक है। राज्य की कार्रवाई में मनमानेपन की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, इसलिए, उचित या उचित पर विचार करना और उचित महत्व देना आवश्यक है।

प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों की वैध अपेक्षाएँ

किसी दिए गए मामले में निर्णय की ईमानदारी को प्रभावित करने के अलावा शक्ति के दुरुपयोग या अधिकता के लिए राशि। इस प्रकार किए गए निर्णय को मनमानेपन के आधार पर चुनौती दी जाएगी। कानून का शासन शक्ति के प्रयोग में विवेक को पूरी तरह से समाप्त नहीं करता है, क्योंकि यह अवास्तविक है, लेकिन इसके प्रयोग पर नियंत्रण का प्रावधान करता है। न्यायिक समीक्षा द्वारा।

8. ऐसी स्थिति में किसी नागरिक की केवल उचित या वैध अपेक्षा अपने आप में एक विशिष्ट प्रवर्तनीय अधिकार नहीं हो सकता है, लेकिन इस पर विचार करने और उसे उचित महत्व देने में विफलता के कारण

निर्णय मनमाना, और इस तरह देय की आवश्यकता है वैध अपेक्षा पर विचार गैर-मनमानेपन के सिद्धांत का हिस्सा है, जो कानून के शासन का एक आवश्यक सहवर्ती है। प्रत्येक वैध अपेक्षा एक प्रासंगिक कारक है जिसके लिए देय राशि की आवश्यकता होती है।

एक निष्पक्ष निर्णय लेने की प्रक्रिया में विचार करना। चाहे वह

दावेदार की अपेक्षा संदर्भ में उचित या वैध है, प्रत्येक मामले में तथ्य का प्रश्न है। जब भी प्रश्न उत्पन्न होता है, तो इसका निर्धारण दावेदार की धारणा के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए लेकिन व्यापक लोक हित में जिसमें अन्य अधिक महत्वपूर्ण हैं।

इस तरह से पहुँचा गया सार्वजनिक प्राधिकरण गैर-मनमानेपन की आवश्यकता को पूरा करेगा और न्यायिक जांच का सामना करेगा। वैध अपेक्षा का सिद्धांत कानून के शासन में आत्मसात हो जाता है और हमारी कानूनी प्रणाली में इस तरह से और इस तरह से काम करता है हद तक "।

103. हाल ही में, इस न्यायालय ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और अन्य के मामले में v. शशि प्रभा शुक्ला और अन्य 1 9 ने वर्तमान मुद्दे पर इस न्यायालय के पहले के फैसलों को सुनने के बाद इस प्रकार कहा हैः

" 33. इस प्रकार न्यायिक रूप से, जैसा कि उपरोक्त कानूनी व्याख्याओं से प्राप्त किया जा सकता है, एक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने व्यवहार में निष्पक्ष, उद्देश्यपूर्ण, गैर-मनमाना, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण होना चाहिए। ऐसे प्राधिकरण में निहित विवेकाधिकार, जो इसकी शक्ति का एक सहवर्ती है, कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है और कभी भी अनियंत्रित या बेलगाम नहीं हो सकता है। इन कार्यात्मकता के विपरीत कोई भी निर्णय या कार्रवाई

उपदेशों को अमान्य होने की पीड़ा होगी। राज्य और उसके साधन, चाहे वह एक सार्वजनिक प्राधिकरण हो, या तो एक व्यक्ति के रूप में या एक सामूहिक के रूप में, अनिवार्य रूप से इस अविभाज्य और गैर-परक्राम्य नियमों का पालन करना पड़ता है और राजनीति द्वारा व्यक्त विश्वास के उल्लंघन और बाहरी विचारों पर कार्य नहीं कर सकते हैं। अनियंत्रित विवेकाधिकार और शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने, बर्बाद करने और नष्ट करने के लिए किसी भी कार्य का सहारा नहीं ले सकता है, चाहे वह राज्य की उदारता या अनुबंधों आदि के माध्यम से हो। इस तरह के आक्रोश स्पष्ट रूप से असंवैधानिक और कानून के शासन के विलुप्त होने वाले होंगे। जो संवैधानिक व्यवस्था का आधार है।

104. वर्तमान मामले में, हालांकि शुरू में, एच. एन. पी. सी. एल. ने वर्ष 2007 में एक वाणिज्यिक बिजली संयंत्र के रूप में अपनी परियोजना को पुनर्जीवित किया था और राज्य को 25 प्रतिशत बिजली की पेशकश की थी, यह राज्य था, जिसने एच. एन. पी. सी. एल. से बिजली खरीदने की पेशकश की थी। एच. एन. पी. सी. एल. ने राज्य के उक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की

सरकार। अभिलेख और विशेष रूप से 26 दिसंबर, 2012 के पत्र से यह स्पष्ट है कि राज्य ने विभिन्न सुविधाएँ दी थीं। एच. एन. पी. सी. एल. को अपनी बिजली परियोजना के निष्पादन के लिए रियायतें। द.

अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों से पता चलता है कि राज्य ने एचएनपीसीएल को परियोजना के लिए हजारों एकड़ भूमि भी आवंटित की है। यह विवाद में नहीं है कि 2013 के एम. ओ. ए. (दिनांक 17 मई, 2013) के अनुसरण में और

2016 का निरंतरता समझौता (दिनांक 28 अप्रैल, 2016), पूरी परियोजना तैयार कर ली गई है और चालू है। इतना ही नहीं, बल्कि वर्ष 2016 से 14 जुलाई, 2020 तक अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स द्वारा एचएनपीसीएल से बिजली खरीदी गई है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि राज्य की भूमि सहित विशाल संसाधनों के निवेश के बाद, परियोजना पूरी हो गई है और चालू हो गई है। इस समय सवाल यह होगा कि इस तरह की परियोजना को छोड़ना जनहित में है या इसके खिलाफ। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह दोहराया जा सकता है कि परियोजना की पूंजी लागत का निर्धारण और शुल्क की दर जिस पर बिजली खरीदी जानी है, हमेशा राज्य आयोग के नियामक नियंत्रण के अधीन होगी। ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा जो किया गया है वह केवल राज्य आयोग को यह निर्धारित करने का निर्देश दे रहा है।

105. रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वर्ष 2012 से 4 जनवरी, 2018 तक आंध्र प्रदेश राज्य के साथ-साथ ए. पी. डी. आई. एस. सी. ओ. एम. एस. का यह लगातार रुख था कि वह एच. एन. पी. सी. एल. की परियोजना से उत्पन्न बिजली की खरीद करेगा। न केवल 2015 का ओ. पी. No.21 आवेदन एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा दायर किया गया था। पूंजी लागत का निर्धारण, लेकिन 2016 का ओ. पी. No.19 भी [2022] 8 एस. सी. आर. द्वारा दाखिल किया गया था।

अपीलार्थी-जारी रखने के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए आदेश संशोधित और पुनर्स्थापित पी. पी. ए. के साथ 28 अप्रैल, 2016 का समझौता

1998 से। अंततः 15 मई, 2017 को मामलों की सुनवाई हुई और आदेशों के लिए बंद कर दिया गया। कुछ अज्ञात कारणों से, विशेष रूप से अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स की जानकारी के भीतर, 15 मई, 2017 और 4 जनवरी, 2018 के बीच चीजें गड़बड़ हो गईं, जिस तारीख को, अपीलकर्ता डिस्कॉम्स ने एक झटका दिया और 2016 के ओ. पी. No.19 को वापस लेने और 2015 के ओ. पी. No.21 के निपटारे के लिए आवेदन दायर किए। पहले की तरह

ऊपर चर्चा की गई है कि राज्य के प्रत्येक निर्णय को जनहित द्वारा निर्देशित किया जाना आवश्यक है और शक्ति का उपयोग सार्वजनिक भलाई के लिए किया जाना है। अज्ञात कारणों से, अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स ने फिर से दायर करने का निर्णय लिया

खड़े हो जाओ। हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स को उनकी सनक और इच्छा पर निर्णय बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, विशेष रूप से, जब यह जनहित और सार्वजनिक भलाई के लिए प्रतिकूल हो। अभिलेख स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि निर्णय में परिवर्तन मनमाना, तर्कहीन और अनुचित है। 106. हम लाभप्रद रूप से कलाभारती विज्ञापन बनाम के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का भी उल्लेख कर सकते हैं। हेमंत विमलनाथ

नरीचनिया और अन्य 20:

" 25. राज्य बिना किसी दुर्भावना या द्वेष के निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए बाध्य है- वास्तव में या कानून में। " कानूनी द्वेष "या" कानून में द्वेष "का अर्थ है कानूनी बहाने के बिना किया गया कुछ। यह एक ऐसा कार्य है जो बिना किसी उचित या संभावित कारण के गलत तरीके से और जानबूझकर किया गया है, और जरूरी नहीं कि यह एक ऐसा कार्य है जो बुरी भावना और बावजूद के किया गया हो। यह एक दूसरों के अधिकारों की उपेक्षा में जानबूझकर कार्य करना। जहाँ द्वेष का श्रेय राज्य को दिया जाता है, वहाँ यह कभी भी राज्य की ओर से व्यक्तिगत दुर्भावना या बावजूद का मामला नहीं हो सकता है। यह एक ऐसा कार्य है जिसे एक तिरछी या अप्रत्यक्ष वस्तु के साथ लिया जाता है। इसका अर्थ है वैधानिक शक्ति का प्रयोग।

20 (2010) 9 एस. सी. सी. 437 साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर कंपनी लिमिटेड। OFA.P।

(एपीएसपीडीसीएल) v. एम/एस हिंदुजनल पावर कार्पोरेशन। लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

"उन विदेशी उद्देश्यों के लिए जिनके लिए यह कानून में अभिप्रेत है"। यह. इसका अर्थ है दूसरे के पूर्वाग्रह के प्रति कानून का सचेत उल्लंघन, दूसरों के अधिकारों की अवहेलना करने के लिए प्राधिकरण की ओर से एक विकृत झुकाव, जो इसके हानिकारक कार्यों से प्रकट होता है। (ए. डी. एम., जबलपुर बनाम। शिवकांत शुक्ला [(1976) 2 एस. सी. सी 521

: ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 1207], एस. आर. वेंकटरमण बनाम। भारत संघ

कानून में द्वेष। (पंजाब एस. ई. बी. लिमिटेड बनाम जोरा सिंह [(2005) 6 एस. सी. सी. 776] और भारत संघ बनाम। वी. रामकृष्णन [(2005) 8 एससीसी 394 : 2005 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 1150]।) "

107. हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि 2016 के ओ. पी. <आई. डी. 1 में 2018 का आई. ए. नंबर 1 और 2015 के ओ. पी. <आई. डी. 2 में 2018 का आई. ए. नंबर 2

अपीलार्थी-डिस्कॉम, ऐसे कार्य हैं, जो गलत तरीके से किए गए हैं।

और बिना किसी उचित और संभावित कारण के जानबूझकर। यह आवश्यक नहीं हो सकता है कि यह एक ऐसा कार्य हो जो दुर्भावना और संकोच के कारण किया गया हो। हालाँकि, यह अधिनियम एक है, जो सार्वजनिक हित और सार्वजनिक भलाई को प्रभावित करता है, इसके लिए कोई तर्कसंगत या उचित आधार नहीं है।

108. हालाँकि एच. एन. पी. सी. एल. द्वारा दुर्भावनापूर्ण गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन हमें उन आरोपों में जाना आवश्यक नहीं लगता है। हालाँकि, हमारे विचार में, वर्तमान मामला पूरी तरह से 'कानूनी द्वेष' या 'कानून में द्वेष' के दायरे में फिट होगा।

109. किसी भी मामले में, हम पाते हैं कि हमारे समक्ष आक्षेपित निर्णय को ऐसी प्रकृति का नहीं कहा जा सकता है, जिसे किसी भी पक्ष के हितों के लिए प्रतिकूल कहा जा सकता है। ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा जो किया गया है वह केवल राज्य आयोग को पूंजी लागत के निर्धारण के लिए दायर 2015 के ओ. पी. No.21 और गुण-दोष के आधार पर संशोधित और पुनर्स्थापित पी. पी. ए. (निरंतरता समझौता) के अनुमोदन के लिए दायर 2016 के ओ. पी. No.19 का निपटान करने का निर्देश देने के लिए है। रिमांड पर, राज्य आयोग उक्त ओ. पी. पर निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों द्वारा उठाए जाने वाले सभी प्रासंगिक कारकों और तर्कों को ध्यान में रखने के लिए बाध्य होगा।

110. इसलिए हम विवादित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं। हालाँकि, निर्णय से अलग होने से पहले, [2022] 8 एस. सी. आर. की आवश्यकता है।

अपीलार्थियों के आचरण को अभिलेख में रखें-डिस्कॉम्स। हालांकि 14 जुलाई, 2020 के आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने विवादित पर रोक लगा दी थी

ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा पारित निर्णय, 21 अगस्त, 2020 के आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा पारित 16 मार्च, 2018 के आदेश पर कोई रोक नहीं होगी। यह विवाद में नहीं है कि ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा पारित 16 मार्च, 2018 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में, अपीलकर्ता-डिस्कॉम्स रुपये की दर से बिजली खरीद रहे थे। 14 जुलाई, 2020 तक एच. एन. पी. सी. एल. से 3.82 प्रति इकाई। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 21 अगस्त, 2020 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को देखते हुए, अपीलकर्ता डिस्कॉम्स को एचएनपीसीएल से बिजली की खरीद जारी रखने की आवश्यकता थी। 3. 8 प्रति इकाई। निर्विवाद रूप से ऐसा नहीं किया गया है। इसका कारण यह दिया गया है कि अपीलार्थी-डिस्कॉम्स

21 अगस्त, 2020 के आदेश की छुट्टी के लिए पहले ही एक आवेदन दायर कर दिया था। केवल एक आवेदन दायर करके, अपीलकर्ता-डिस्कॉम्स 16 मार्च, 2018 के ए. पी. टी. ई. एल. के आदेश का पालन करने से बच नहीं सकते थे, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा 21 अगस्त, 2020 के आदेश में कहा गया है। यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि हालांकि अपीलकर्ता-डिस्कॉम्स एचएनपीसीएल से रुपये की दर से बिजली खरीद सकते थे। ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा पारित आदेशों और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को देखते हुए उन्होंने के. एस. के. महानदी सहित विभिन्न जनरेटरों से उच्च दर पर बिजली खरीदने का विकल्प चुना है, जिनसे प्रति यूनिट 3.82 रुपये की दर से बिजली खरीदी जा रही है। 3. 43 प्रति इकाई।

111. हम अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि क्या जनहित, जिसे वर्तमान मामले में सेवा में इतने जोर से दबाया जाता है

अपीलार्थी-डिस्कॉम्स, रुपये की दर से बिजली खरीदने में निहित है। एच. एन. पी. सी. एल. से 3.82 रुपये प्रति यूनिट या इसे रुपये की दर से खरीदकर। के. एस. के. महानदी से 4.33 प्रति इकाई। हम अपीलार्थियों के इस तरह के आचरण की कड़ी निंदा करते हैं-डिस्कॉम्स, जो राज्य के साधन हैं। अपीलार्थी-डिस्कॉम्स ने जनहित में कार्य करने के बजाय जनहित के विपरीत कार्य किया है। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अवहेलना करने के लिए, हम इस न्यायालय की अवमानना करने के लिए अपीलकर्ताओं-डिस्कॉम्स के अधिकारियों के खिलाफ बहुत अच्छी तरह से कार्रवाई शुरू कर सकते थे, लेकिन हम ऐसा करने से खुद को रोकते हैं।

112. परिणामस्वरूप, वर्तमान अपील को लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है, जिसकी मात्रा रु. 5,00,000/- (केवल पाँच लाख रुपये) निर्धारित की जाती है। लंबित आई. ए., यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा। 113. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य आयोग के समक्ष मुद्दा लंबे समय से लंबित है, हम राज्य आयोग को दक्षिण बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड को निर्देश देते हैं।

ओ.

(एपीएसपीडीसीएल) v. एम/एस हिंदुजनल पावर कार्पोरेशन। लिमिटेड। [बी. आर. सी.

2015 के ओ. पी. No.21 और 2016 के ओ. पी. संख्या 19 पर, जितनी जल्दी हो सके, और किसी भी मामले में, इस निर्णय से छह महीने की अवधि के भीतर निर्णय लें।

114. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब तक 2015 का ओ. पी. No.21 और 2016 का ओ. राज्य आयोग द्वारा तय नहीं किया जाता है, तब तक अपीलकर्ता-डी. आई. तुरंत एच. एन. पी. सी. एल. से बिजली की खरीद शुरू कर देंगे। रु. ए. पी. टी. ई. एल. दा मार्च, 2018 और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2020 को पारित आदेशों के अनुसार 3,82 प्रति इकाई।

अ

पील करें

बिभूति भूषण बोस

(सहायकः नेहा शर्मा, एलसीआरए)